

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी 2010—माघ 8, शक 1931

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2010

### प्री. पी. जी. ( स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा ) प्रवेश परीक्षा नियम, 2010

क्र. एफ-4-1-2010-1-पचपन.—राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा (एम. डी. तथा एम. एस.) पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा दंत चिकित्सा (एम. डी. एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

#### नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम, 2010” है.

(2) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा शैक्षणिक वर्ष 2010-11 के लिए प्रवृत्त रहेंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

- (क) “मण्डल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;
- (ख) “महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के अधीन शासकीय/स्वशासी चिकित्सा या दंत चिकित्सा महाविद्यालय;
- (ग) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा;
- (घ) “सेवारत अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जो मध्यप्रदेश शासन के अधीन नियमित या संविदा के आधार पर सेवा कर रहे हों;
- (च) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग;

- (छ) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है, नगर निगम क्षेत्र तथा नगरपालिका परिषद् क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र;
- (ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जातियां;
- (झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियां;
- (ञ) "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनका वर्ष 2010-11 की काउंसिलिंग में सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है.
- (ट) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश की सरकार;
- (ठ) "जनजाति क्षेत्र" से अभिप्रेत है, जनजाति उपयोजना के अधीन क्षेत्र;
- (ड) "एम. सी. आई." से अभिप्रेत है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया;
- (ढ) "डी. सी. आई" से अभिप्रेत है, डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया;

3. सामान्य : (1) स्नातकोत्तर उपाधि एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम, यथास्थिति एम. सी. आई./डी. सी. आई./विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/भारत सरकार/महाविद्यालय की स्वशासी संस्था की यथास्थिति, प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश के समय, समय-समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गये संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगी.

(2) प्रवेश की तारीख से, उपाधि की दशा में, तीन वर्ष की कालावधि के लिये स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम एवं पत्रोपाधि की दशा में, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम दो वर्ष की कालावधि के लिये पूर्णकालिक होंगे. छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रैक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी.

(3) जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी दी जानी तथा प्रस्तुत की जानी चाहिए. आवेदन फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें, जिसके अभाव में प्रार्थी को प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश की पात्रता नहीं होगी.

(4) यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने स्थान (सीट) आवंटन के समय, दस्तावेजों की छानबीन के समय तथा उसके प्रवेश के समय आवेदन प्ररूप में कोई सुसंगत तथ्य छिपाए हैं और/या गलत जानकारी दी है तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय उसका प्रवेश महाविद्यालय के डीन (अधिष्ठाता)/प्राचार्य द्वारा रद्द कर दिया जायेगा.

(5) सेवारत अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुशंसित किए गए हों, परीक्षा तथा काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिये कर्तव्य पर माना जाएगा तथा पैतृक विभाग से नियमानुसार यात्रा भत्ते तथा मंहगाई भत्ते का दावा करने का हकदार होगा.

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) के प्रवेश नियमों का पालन करना होगा एवं उसे विहित की गई फीस जमा करनी होगी.

4. (1) छात्र निम्नलिखित के लिये हकदार होंगे :—

- (क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी),
- (ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश,
- (ग) डीन (अधिष्ठाता)/प्राचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण सेवावधि के दौरान छात्रवृत्ति के बिना 90 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी. चिकित्सा प्रमाण-पत्र अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

(2) मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 147/4572/03/पचपन/चिशि-1, दिनांक 14 जनवरी 2004 के अनुसार पूर्व अनुमति से, छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश/बीमारी का प्रमाण-पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

5. दुराचरण, अनुशासनहीनता तथा अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्र, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दायी होंगे जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना सम्मिलित है.

6. परीक्षा, मण्डल द्वारा नियत किए गए केन्द्र पर होगी. एक बार आवंटित हो जाने पर केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जावेगा. अभ्यर्थी मण्डल के नियमों तथा विनियमों का पालन करेगा, जिसका पालन न करने पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी.

7. भारतीय चिकित्सा परिषद, (एम. सी. आई.) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त सीटों का विषयवार, पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार समस्त स्नातकोत्तर उपाधि एवं पत्रोपाधि स्थानों (सीटों) का बंटवारा तालिका 1 से 5 में दर्शित है. याचिका क्रमांक 2943/08 ओमप्रकाश लखवानी के निर्णय अनुसार गैर मान्यता प्राप्त सीटों को शामिल नहीं किया गया है. तथापि, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 4168/4507/08/1/55 दिनांक 24-12-2008 के निर्देशानुसार माननीय न्यायालय द्वारा अन्य कोई निर्णय लिया जाता है, तो तदनुसार उसका अनुसरण किया जाएगा.

8. **आरक्षण.**—मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत स्थान एवं मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों के लिए जो क्रीमिलेयर से भिन्न हैं 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे या समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार आरक्षित रहेंगे.

- (1) महिला अभ्यर्थियों के लिये, आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट)-सह-विकल्प के अनुसार 30 प्रतिशत होगा.
- (2) ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी तथा मूल प्रमाण-पत्र परामर्श (काउंसिलिंग) के समय प्रस्तुत करना होगा.
- (3) ऐसे विकलांग व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हैं और जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग के हैं, के लिए तीन प्रतिशत स्थान (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित हैं, जिन्हें सारणी क्रमांक 1 से 4 तक में स्टार (\*) के माध्यम से दर्शाया गया है. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 4828/09 डॉ. राखी मंगल में पारित निर्णय दिनांक 29-8-2009 का पालन सुनिश्चित किया जावेगा.

पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंकों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जावेंगी. 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंकों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच निचले अंकों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे.

उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटें) सम्बन्धित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरी जावेगी. "इन स्थानों (सीट) पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में जिला मेडीकल बोर्ड से वैध प्रमाण-पत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से पात्रता प्रमाण-पत्र, दोनों ही अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा. विषयवार सीटों का बटवारा तालिका 05 पर दर्शित है. काउंसिलिंग के समय दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी. एम. सी. आई. द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देश के अनुसार निम्नलिखित विकलांगों को विकलांग श्रेणी में पात्रता नहीं होगी".

- (1) हाथ/हाथों से विकलांग
- (2) दृष्टि से विकलांग
- (3) बहरापन
- (4) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता
- (5) पात्रता प्रमाण-पत्र परामर्श (काउंसिलिंग) की तिथि के 3 मास से ज्यादा पुराना.

- (4) स्नातकोत्तर उपाधि तथा पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में 25 प्रतिशत स्थान ऐसे सेवारत चिकित्सा अधिकारी जो मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग में सेवारत हों, चयन के लिये आरक्षित होंगे. (सेवारत अभ्यर्थी-सारणी क्रमांक 2 तथा 4).

#### 9. चयन मापदंड (सेवारत अभ्यर्थी)

सेवारत अभ्यर्थियों के लिये उपाधि तथा पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु चयन प्रक्रिया एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :—

##### (1) चिकित्सा अधिकारी.—

- (क) केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा वर्ष की 30 अप्रैल को चिकित्सा अधिकारी के रूप में, जो मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग में कार्यरत हो एवं जिसने ग्रामीण क्षेत्र में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा ऐसा अभ्यर्थी जिसने मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग में संविदा चिकित्सक के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में सेवा के 03 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, सेवारत अभ्यर्थी के रूप में चयन हेतु पात्र होंगे. ऐसे अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरांत कम-से-कम 5 वर्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् तीन वर्ष के लिये अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवायें देने के लिए बांड निष्पादित करना होगा. शासन के अनुदेशों के अनुसार पी. जी. डिग्री के लिये 10.00 लाख तथा पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 8.00 लाख का बाण्ड भरना होगा.
- (ख) सेवारत अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा परीक्षा वर्ष की 30 अप्रैल को 45 वर्ष की होगी.
- (ग) ऐसे सेवारत अभ्यर्थी जिन्होंने एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा (डिग्री/डिप्लोमा) उत्तीर्ण कर ली हो दूसरे विषय में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे.

(2) आवेदन.—सेवारत अभ्यर्थियों को अपने आवेदन विहित प्ररूप में व्यावसायिक परीक्षा मंडल को प्रस्तुत करने होंगे, सेवारत अभ्यर्थियों को अपने विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र परामर्श (काउंसिलिंग) के समय प्रस्तुत करना होगा.

10. परीक्षा एवं योग्यता सूची (मेरिट-लिस्ट) : (1) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा एक ही सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी. सेवारत अभ्यर्थी भी इसी प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित किये जाएंगे. सेवारत अभ्यर्थियों को प्री-पी.जी. प्रवेश परीक्षा में प्रवेश हेतु इन नियमों में विहित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करना होंगे. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, सफल सेवारत अभ्यर्थियों की एक पृथक् योग्यता सूची तैयार करेगा तथा घोषित करेगा. सेवारत अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा हेतु कुल अंक 200 होंगे. ऐसे सेवारत अभ्यर्थी जो सफल घोषित किए गए हों, को निम्नांकित गणना के आधार पर अतिरिक्त अंक जोड़कर उन्हें अंतिम योग्यता सूची में शामिल किए जाने के लिए उन पर विचार किया जाएगा.

(2) चिकित्सा अधिकारी.—सेवारत अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता (इण्टर-से-मेरिट) ग्रामीण क्षेत्रों में की गई उनकी सेवा के लिए अधिमान के अंक जोड़कर निश्चित की जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत अभ्यर्थी को अधिकतम 50 अंक प्राप्त करने होंगे जो निम्नलिखित आधार पर आवंटित किए जाएंगे :—

- (क) ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापना के दौरान की गई एक वर्ष की शासकीय सेवा के लिये अधिकतम 06 अंक अधिमान दिए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्र की सेवा के लिये अधिकतम प्राप्तांक 30 अथवा 20 होंगे जो प्रतिवर्ष हेतु 5 वर्ष के लिये निम्नानुसार अंक होंगे:—

यदि ऐसी सेवा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में की गई हो तो एक वर्ष के लिए 06 अंक दिए जाएंगे तथा यदि सेवा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में की गई है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत बनाये गये हैं तो एक वर्ष के लिये 04 अंक दिये जाएंगे.

- (ख) ऐसी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे, यदि ग्रामीण क्षेत्र आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत आता है. तथा यदि ऐसी सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में की गई हैं तो अभ्यर्थी को पांच वर्ष हेतु 04 अतिरिक्त अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे, और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में की गई ऐसी सेवाओं के लिए 02 अंक प्रतिवर्ष की दर से पांच वर्ष के लिए अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे.

- (ग) इस नियम के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी की सेवा अवधि की उस कालावधि की गणना ग्रामीण सेवा के अधिमान के अंक की गणना करने के प्रयोजन के लिए उस स्थिति में नहीं की जाएगी। जब वह ग्रामीण क्षेत्र अथवा नगर पंचायत क्षेत्र अथवा आदिवासी क्षेत्र में पदस्थ रहा हो और यदि अभ्यर्थी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सेवा के कार्यकाल के दौरान अनधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है/कोई डाई-ज-नॉन अवधि हुई है/कोई अवैतनिक छुट्टी की अवधि पर रहा है/03 माह से अधिक की कालावधि तक प्रशिक्षण पर रहा है/शहरी क्षेत्र में संलग्न रहा है।
- (घ) सेवारत अभ्यर्थियों की अंतिम योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) हेतु प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों (200 अंकों के बराबर) तथा/ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में सेवा के लिए प्राप्त किए गए अधिमान के अंकों (अधिकतम 50 अंकों के बराबर) अर्थात् कुल 250 अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (ङ) दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों को बराबर अंक मिलने की दशा में नियम 19 के उपनियम (2) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उनकी पारस्परिक योग्यता विनिश्चित की जाएगी।
- (च) सेवारत अभ्यर्थियों की परामर्श (काउंसलिंग) चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी।

11. **पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् विभाग में वापसी.**—पी. जी. डिग्री पाठ्यक्रम के लिए सामान्य अवधि 36 माह एवं पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये 24 माह है। सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उनकी प्रास्थिति पर विचार किए बिना पैतृक विभाग में वापस जाना होगा, भले ही वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में अध्ययन जारी रखने का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जायेगा।

12. **फीस, बंध पत्र आदि.**—सेवारत अभ्यर्थियों को छोड़कर चयनित अभ्यर्थियों (गैर सेवारत चयनित अभ्यर्थी) को, प्रवेश के समय पी. जी. उपाधि/पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् कम-से-कम दो वर्षों तक राज्य सरकार के अधीन शासन द्वारा निर्देशित स्थानों में कार्य करने के लिये शासन के अनुदेशों के अनुसार अर्थात् स्नातकोत्तर डिग्री के लिये रुपये 10.00 लाख तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये रुपये 8.00 लाख का बंध पत्र निष्पादित करना होगा। सभी अधिष्ठाता, शासकीय/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं को अभ्यर्थियों की सूची, जो उनके संस्थान में परीक्षा प्रारंभ होने के कम-से-कम 3 माह पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, उपलब्ध कराएंगे। तत्पश्चात् वे पी. जी. परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची भी उपलब्ध कराएंगे। आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसे सफल अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित होने के 3 माह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों के भराये गये बंध पत्र स्वमेव निरस्त माने जावेंगे। ऐसे चिकित्सकों को राज्य सरकार के अधीन निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं देना होगी।

13. **फीस संरचना.**—प्रत्येक अभ्यर्थी को नीचे यथावर्णित फीस नियमित रूप से जमा करनी होगी:—

1.	शैक्षणिक फीस (डिग्री)	रुपये 35,000/- प्रतिवर्ष
2.	शैक्षणिक फीस (डिप्लोमा)	रुपये 35,000/- प्रतिवर्ष
3.	छात्रावास फीस	रुपये 10,000/- प्रतिवर्ष
4.	छात्र निधि	रुपये 500/- प्रतिवर्ष
5.	काशनमनी (वापसी योग्य)	रुपये 3,000/-
6.	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रुपये 10,000/-

**फीस वापसी.**—अखिल भारतीय कोटे व स्टेट कोटे से पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा 20 मई, 2010 के पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लौटाई जावेगी। उक्त समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

14. **प्रतिभूति निक्षेप.**—(1) परामर्श (काउंसलिंग) के दौरान स्थान आवंटित होने पर अभ्यर्थी को रुपये 10,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा :

परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/संरक्षक की आय समस्त स्रोतों को मिलाकर रुपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, कोई प्रतिभूति निक्षेप नहीं करेंगे। बशर्ते कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अन्य अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/संरक्षक की आय समस्त स्रोतों को मिलाकर रुपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी केवल रुपये 2,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेंगे।

(2) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप की राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी। उस दशा में जब कोई अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम, विषय एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या किसी भी कारण से पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर दे और महाविद्यालय छोड़ दे तो प्रतिभूति निक्षेप पर उसका दावा समपहत हो जाएगा।

15. पात्रता.—(1) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।

निम्नलिखित में से किसी भी एक परिस्थिति में भी मध्यप्रदेश के मूल निवासी की श्रेणी में शामिल होना माना जावेगा :—

- 1.1 अभ्यर्थी द्वारा एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. की समस्त परीक्षाएं मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिये।
- 1.2 अभ्यर्थी जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के निवासी हैं, परन्तु उन्होंने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश के बाहर से जो कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हो, से उत्तीर्ण की हो। एम.डी.एस. पाठ्यक्रम में चयन होने वाले अभ्यर्थियों पर भी यह लागू होगा।
- 1.3 मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारी (सेवारत चिकित्सा अधिकारी)।

(2) सभी पी. जी. प्रवेशित मेडिकल छात्रों को मध्यप्रदेश राज्य में प्रेक्टिस करने के लिये मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् से पंजीकृत होना चाहिए। पी. जी. सीट आवंटन होने के पश्चात् आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के भीतर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसमें सेवारत अभ्यर्थी भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की कालावधि तक स्नातकोत्तर करने का हकदार नहीं होगा यदि उसे अखिल भारतीय या स्टेट पी. जी. प्रवेश परीक्षा के माध्यम से स्थान आवंटित हुआ था और उसने 2010 के पूर्ववर्ती विगत तीन वर्ष के दौरान किसी कारण से उसमें प्रवेश नहीं लिया है अथवा प्रवेश लेकर उसके पश्चात् स्थान (सीट) छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त वे अभ्यर्थी जिन्होंने पी. जी. डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, उन्हें उनके द्वारा पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम के पश्चात् आगामी तीन/दो वर्ष तक पी. जी. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रवेश उनके अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, 2010 के आधार पर मध्यप्रदेश में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है तथा उनका चयन मध्यप्रदेश प्री-पी. जी. परीक्षा 2010 में भी हुआ है, वे मध्यप्रदेश पी. जी. प्रवेश परीक्षा 2010 में चयनित अभ्यर्थी के लिये भी आयोजित परामर्श (काउंसिलिंग) में भाग लेने के लिये पात्र होंगे। तथापि वह यदि ऐसे परामर्श (काउंसिलिंग) में स्टेट कोटे में स्थान (सीट) का चयन करता है तो उसे अखिल भारतीय कोटा का स्थान (सीट) छोड़ देना होगा।

नोट.—(1) मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-5-15/03/55/चिशि/1, दिनांक 26 दिसम्बर, 2003 के अनुसार वर्ष 2004 में एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्र स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा, 2010 में उपसंजात हो सकेंगे बशर्ते जो छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

(2) सभी सेवारत अभ्यर्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में बैठना होगा। सेवारत अभ्यर्थियों की पृथक योग्यता (मेरिट) सूची सामान्य प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अर्हकारी अंकों तथा संबंधित शासकीय विभाग द्वारा आवंटित अंकों को जोड़कर बनाई जाएगी। अंतिम योग्यता (मेरिट) सूची के अनुसार परामर्श (काउंसिलिंग) की जाएगी—

16. परीक्षा : (1) एम. एस./एम. डी./एम. डी. एस./डिप्लोमा की प्रवेश परीक्षाएँ केवल अंग्रेजी माध्यम से आयोजित की जायेंगी.

(2) एक प्रश्न-पत्र तीन घंटे का होगा. प्रश्न-पत्र के दो भाग "क" एवं "ख" होंगे.

(3) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिये एक अंक प्रत्येक सही उत्तर के लिये दिया जावेगा. गलत उत्तर या एक से अधिक उत्तर या अनुत्तरित प्रश्न के लिये कोई अंक नहीं दिया जायेगा.

(4) परीक्षा, एम.बी.बी.एस. परीक्षा के स्तर की होगी तथा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के सभी विषयों को सम्मिलित किया जायेगा.

(5) डिग्री एवं डिप्लोमा (एम. डी./एम. एस.) के लिए प्रत्येक विषय के प्रश्नों की संभावित संख्या निम्नानुसार दर्शायी है:—

भाग-क			भाग-ख		
स.क्र.	विषय	प्रश्नों की संख्या	स.क्र.	विषय	प्रश्नों की संख्या
01	एनाटामी	10	01	जनरल मेडिसिन डरमेटोलॉजी, विनिरियोलॉजी एवं लेप्रोसी सहित.	25
02	फिजियोलॉजी	08	02	जनरल सर्जरी	20
03	बायोकेमिस्ट्री	05	03	एनस्थीसियालॉजी	06
04	फार्मोलॉजी	08	04	आब्सेट्रिक्स एवं गाइनोकोलॉजी	15
05	पैथोलॉजी	15	05	आपथलमोलॉजी	10
06	माइक्रोबायोलॉजी	08	06	आर्थोपीडीक्स	10
07	फारेन्सिक मेडिसिन	06	07	ऑटोराइनो लेरिगोलॉजी	10
08	कम्यूनिटी मेडिसिन	15	08	पीडियाट्रिक्स	10
			09	साइकेट्री	06
			10	रेडियोडायग्नोसिस	08
			11	रेडियोथेरापी	05
		योग . . . 75			योग . . . 125
कुल योग क+ख=200					

17. स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश.— (1) परीक्षा, स्नातकोत्तर चिकित्सा, उपाधि/पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के लिये आयोजित परीक्षा पूर्व में वर्णित पद्धति के अनुसार होगी और एम.डी./एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए यथाविहित सामान्य सिद्धांत दंत चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् एम.डी.एस. के लिये लागू होंगे.

(2) एक प्रश्न-पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा. प्रश्न पत्र के दो भाग "क" और "ख" होंगे.

(3) परीक्षा, बी.डी.एस. परीक्षा के स्तर की होगी तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम के समस्त विषय सम्मिलित होंगे.

(4) प्रत्येक विषय समूह में प्रश्नों की संभावित संख्या नीचे दर्शाए अनुसार है:—

भाग-क

अनुक्रमांक (1)	विषय समूह (2)	प्रश्नों की संख्या (3)
1.	जनरल ह्यूमन एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एवं हिस्टोलॉजी, जनरल ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तथा डेन्टल मटीरियल.	30
2.	जनरल पेटोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन ओरल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी तथा हिस्टोलॉजी, जनरल तथा डेन्टल फार्मकोलॉजी एवं थिरेप्यूटिक्स.	30
3.	जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ओरल पेटोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी, प्रिवेन्टिव एवं कम्यूनिटी डेन्टिस्ट्री.	40
योग . .		100

भाग-ख

अनुक्रमांक (1)	विषय समूह (2)	प्रश्नों की संख्या (3)
1.	प्रोस्थोडॉन्टिक्स क्राउन एवं ब्रिज कन्जर वेटिव डेन्टिस्ट्री एवं एन्डोडॉन्टिक्स, पीडियोडॉन्टिक्स, आर्थोडॉन्टिक्स, पेरीओडोन्टिक्स, ओरल सर्जरी, ओरल मेडिसिन, ओरल डायग्नोसिस तथा रेडियोलॉजी.	100
योग . .		100

कुल योग क + ख = 200

(5) स्थानों (सीटों) की उपलब्धता.—एम.डी.एस. पाठ्यक्रम के लिये स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में निम्नलिखित स्थान (सीट) नीचे दर्शाये अनुसार उपलब्ध होंगे:—

(एक) आर्थोडॉन्टिक्स—एक सीट अनारक्षित प्रवर्ग (महिला)

1.	वर्ष 2001	अनारक्षित	—	ओपन
2.	वर्ष 2002	अनारक्षित	—	ओपन
3.	वर्ष 2003	अनारक्षित	—	महिला
4.	वर्ष 2004	अनारक्षित	—	ओपन
5.	वर्ष 2005	अनारक्षित	—	ओपन
6.	वर्ष 2006	अनारक्षित	—	महिला
7.	वर्ष 2007	अनारक्षित	—	ओपन
8.	वर्ष 2008	अनारक्षित	—	ओपन
9.	वर्ष 2009	अनारक्षित	—	महिला
10.	वर्ष 2010	अनारक्षित	—	ओपन

(दो) प्रोस्थोडॉन्टिक्स—एक सीट अखिल भारतीय कोटा.

(तीन) प्रोस्थोडॉन्टिक्स—एक सीट आरक्षित श्रेणी—यह स्थान (सीट) अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित है यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह स्थान (सीट) नियम 20 के उपनियम (11) में वर्णित क्रिये गये अनुसार भरा जायेगा. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 5-49-2000-55-एम.ई.-1, दिनांक 04 अक्टूबर 2000 के अनुसार आरक्षण पद्धति निम्नानुसार होगी :—

1.	वर्ष 2001	अनुसूचित जनजाति
2.	वर्ष 2002	अनुसूचित जाति
3.	वर्ष 2003	अन्य पिछड़ा वर्ग
4.	वर्ष 2004	अनुसूचित जनजाति



5.	वर्ष 2005	अनुसूचित जाति
6.	वर्ष 2006	अन्य पिछड़ा वर्ग
7.	वर्ष 2007	अनुसूचित जनजाति
8.	वर्ष 2008	अनुसूचित जाति
9.	वर्ष 2009	अन्य पिछड़ा वर्ग
10.	वर्ष 2010	अनुसूचित जनजाति

(चार) ओरल सर्जरी—एक सीट अखिल भारतीय कोटा.

(पांच) ओरल सर्जरी—एक सीट प्रदेश कोटा.

भारत शासन, से अनुमति प्राप्त होने पर विषय आवंटन

1.	वर्ष 2008	अनुसूचित जनजाति
2.	वर्ष 2009	अनुसूचित जाति
3.	वर्ष 2010	अन्य पिछड़ा वर्ग

पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में यह स्थान नियम 20 के उपनियम 11 में वर्णित किये गये अनुसार भरे जायेंगे.

18. परीक्षाफल की घोषणा.—मण्डल परीक्षा संचालित करेगा, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेगा, योग्यता सूची तैयार करेगा तथा परीक्षाफल घोषित करेगा. विषय/पाठ्यक्रम/महाविद्यालय में पात्र अभ्यर्थी को स्थान का आवंटन परामर्श (काउंसलिंग) द्वारा योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर किया जायेगा. परामर्श (काउंसलिंग) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में संचालनालय, चिकित्सा द्वारा आयोजित की जावेगी.

19. योग्यता सूची.—(1) सेवारत अभ्यर्थियों एवं गैर-सेवारत अभ्यर्थियों की पृथक्-पृथक् योग्यता (मेरिट) सूची तैयार की जावेगी.

(2) अनारक्षित श्रेणी के गैर सेवारत प्रवर्ग की एक योग्यता (मेरिट) घोषित की जावेगी, जिसमें सभी सफल अभ्यर्थी शामिल किये जावेंगे, जिन्होंने प्री पीजी परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं.

(3) आरक्षित वर्ग के (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के उन सभी गैर सेवारत अभ्यर्थियों की पृथक्-पृथक् मेरिट सूची जारी की जावेगी जिन्होंने प्री पीजी परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं.

(4) सभी गैर सेवारत अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूचियों में विकलांग अभ्यर्थी अपनी मेरिट के अनुसार सम्मिलित किए जाएंगे.

(5) विकलांग अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट सूचियां भी तैयार की जाएंगी.

(6) सूचियों में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी.

(7) सेवारत अभ्यर्थियों की पृथक् योग्यता सूची बिन्दु क्रमांक 1 से 5 तक उपरोक्तानुसार श्रेणीवार सामान्य प्रवेश परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अर्हकारी अंकों तथा संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा आवंटित अंकों को जोड़ने के पश्चात् बनाई जायेगी. परामर्श (काउंसलिंग) अंतिम योग्यता सूची के अनुसार की जाएगी.

(2) पारस्परिक योग्यता (मेरिट).—उस दशा में जब दो या अधिक अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो योग्यता नीचे दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चित की जाएगी :—

(क) अभ्यर्थी, जिसने प्रश्न-पत्र के भाग "ख" में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, योग्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा.

(ख) प्रश्न-पत्र के भाग "ख" में अभ्यर्थियों द्वारा बराबर अंक प्राप्त करने पर भी आयु में बड़े अभ्यर्थी को पारस्परिक योग्यता (मेरिट) में उच्च स्थान पर रखा जायेगा.

20. परामर्श (काउंसलिंग).—(1) अभ्यर्थियों को स्थान का आवंटन परामर्श (काउंसलिंग) के माध्यम से, स्वयं उपस्थित होने पर किया जायेगा. परामर्श (काउंसलिंग) समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

- (एक) संचालक, चिकित्सा शिक्षा या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि.
- (दो) संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या उसका प्रतिनिधि.
- (तीन) संचालक, चिकित्सा सेवायें.
- (चार) मध्यप्रदेश के सभी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों के समस्त अधिष्ठाता.
- (पांच) स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर के प्राचार्य.
- (छः) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट आरक्षित प्रवर्ग का प्रतिनिधि जो सह-प्राध्यापक की पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो.
- (सात) स्थानीय चिकित्सा महाविद्यालय के दो नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि हों.
- (आठ) अध्यक्ष आवंटन समिति एवं अध्यक्ष छानबीन समिति

नोट.—सेवारत अभ्यर्थियों की परामर्श (काउंसलिंग) के समय संचालक चिकित्सा सेवाएँ की व्यक्तिगत उपस्थिति परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ होने से अंत तक अनिवार्य रहेगी. सेवारत अभ्यर्थियों की परामर्श (काउंसलिंग) बाबत भी संचालक चिकित्सा सेवाएँ ही पूरी तरह जिम्मेदार होंगे.

(2) काउंसलिंग का कार्यक्रम राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा. अभ्यर्थियों को पृथक् से काल लेटर नहीं भेजे जायेंगे.

(3) किसी अभ्यर्थी की परामर्श (काउंसलिंग) में व्यक्तिशः उपस्थित होने में असमर्थता की दशा में वह एक वचनबंध तथा प्राधिकार पत्र के साथ अपना प्राधिकृत प्रतिनिधि भेज सकेगा/सकेगी.

(4) अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि परामर्श (काउंसलिंग) के लिये अपने स्वयं के व्यय पर यात्रा करेंगे.

(5) अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि को परामर्श (काउंसलिंग) के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पी. जी.-2010 की परीक्षा अंक सूची दिखाये बिना प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(6) अभ्यर्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को मूल दस्तावेज (प्रोफार्मा 9 में वर्णित) तथा इन दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट के बिना परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी.

(7) अभ्यर्थी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि योग्यता (मेरिट) के क्रम में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे. उन्हें 10-20 के छोटे-छोटे समूहों में मूल दस्तावेजों की जांच तथा सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा तथा पात्र पाये जाने पर उन्हें आगे परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी, जहां अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध किसी एक स्थान के आवंटन के चयन हेतु विकल्प देना होगा जो अंतिम होगा एवं यही स्थान उसे आवंटित किया जाएगा एवं आवंटन-पत्र, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट नियम-14 (1) के अनुसार प्रस्तुत करने पर जारी किया जायेगा.

(8) यदि अभ्यर्थी अथवा उसका प्रतिनिधि किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण से अभिलेखों की जांच तथा परामर्श (काउंसलिंग) के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसा अभ्यर्थी यदि इसके पश्चात् उपस्थित होता है, तो उसे बिना उसकी मेरिट का ध्यान रखते हुए, जिस स्टेज पर परामर्श (काउंसलिंग) चल रही है, उसी स्टेज पर परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी. उस पर तब ही विचार किया जाएगा यदि उसके प्रवर्ग की परामर्श (काउंसलिंग) जारी हो एवं पूर्व में जो आवंटन मेरिट के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों को किये जा चुके हैं वे अपरिवर्तनीय होंगे. यह नियम सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये लागू होगा.

(9) सेवारत अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पहले की जायेगी. सेवारत अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित क्रमानुसार काउंसलिंग आयोजित की जायेगी—

#### सेवारत

- (क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग
- (ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग
- (ग) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग
- (घ) अनारक्षित प्रवर्ग

अभ्यर्थी को केवल अपनी श्रेणी से सीट आवंटन की पात्रता होगी.

(10) सेवारत अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के पश्चात् रिक्त रही सीटों को उसी श्रेणी के ओपन गैर सेवारत अभ्यर्थियों से भरी जायेगी.

(11) गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिए निम्न क्रमानुसार काउंसलिंग आयोजित की जायेगी:—

**गैर सेवारत (ओपन)—**

- (क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग
- (ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग
- (ग) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग
- (घ) अनारक्षित प्रवर्ग

संबंधित श्रेणी में विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में खाली स्थान (सीट) उसी श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे.

यदि आरक्षण में पात्र अभ्यर्थियों जैसे सेवारत अथवा गैर सेवारत (ओपन) एवं विकलांग प्रवर्ग के आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो रिक्त स्थान अन्य प्रवर्गों को निम्नानुसार उपलब्ध करा कर भरा जाएंगे:—

- (क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के रिक्त स्थान, पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे.
- (ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के रिक्त स्थान, पात्र अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे.
- (ग) आरक्षण के विस्तार तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त स्थानों के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा.
- (घ) उपरोक्त रीति में इन तीनों आरक्षित प्रवर्गों में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्त स्थानों को अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा.

(12) (क) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से विहित प्रोफार्मा में जाति स्थाई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, वैध जाति स्थाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी इसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा. अस्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा कालातीत जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे.

(ख) आरक्षित वर्ग के सभी उम्मीदवारों को परामर्श काउंसलिंग के समय वर्तमान सत्र का आय प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(13) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी जिसका नाम अपने आरक्षित प्रवर्ग की योग्यता (मेरिट) सूची में सम्मिलित होने की अतिरिक्त अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यता (मेरिट) सूची में भी सम्मिलित हैं, तो अभ्यर्थियों को परामर्श (काउंसलिंग) के दौरान यह विकल्प होगा कि वो सीट आरक्षित श्रेणी से चयन करेगा अथवा अनारक्षित श्रेणी से.

(14) राज्य के लिए उपलब्ध अखिल भारतीय कोटा के (डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अलग-अलग) उपलब्ध स्थानों की संख्या को समस्त प्रवर्गों अर्थात् सेवारत और ओपन प्रवर्गों में उसी अनुपात में वितरित किया जायेगा जो राज्य कोटा के स्थानों के लिए विहित है तथा इन स्थानों (सीट्स) को किसी विषय, पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय को वितरित किया जाएगा, जिसका विनिश्चय, प्रत्येक प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा लॉट डालकर, (डॉ ऑफ लाट्स) आवंटन समिति की उपस्थिति में किया जाएगा. किसी प्रवर्ग को स्थानों (सीट्स) की संख्या के संबंध में विवाद की दशा में उच्चतम फ्रेक्शन का विचार किया जाएगा तथा उसे अधिमान दिया जाएगा.

(15) यदि कोई अभ्यर्थी उसकी मेरिट के आधार पर अपनी काउंसलिंग के समय उपलब्ध विषयों/पाठ्यक्रमों में से किसी में भी प्रवेश लेना नहीं चाहता है तो वह लिखित में "आप्ट फार वेटिंग" का विकल्प दे सकता है, उसका नाम मेरिट क्रम में अंकित कर दिया जावेगा, यदि किसी चिकित्सा/दंत महाविद्यालयों में किसी विषय में कोई सीट 31 मई 2010 तक या उसके पूर्व रिक्त हो जाती है तब ऐसे अभ्यर्थी के नाम पर मेरिट अनुसार किसी भी कारण से रिक्त रह गई सीटों के आवंटन के समय विचार किया जा सकेगा.

(16) किसी भी अभ्यर्थी को एक बार सीट व कालेज आवंटित किये जाने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में आगामी काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी. व ऐसे अभ्यर्थियों को होने पर आगामी काउंसलिंग में आमंत्रित भी नहीं किया जावेगा.

21. प्रवेश.—किसी अभ्यर्थी का किसी विषय, पाठ्यक्रम या किसी महाविद्यालय में काउंसलिंग द्वारा आवंटन हो जाने के फलस्वरूप वह महाविद्यालय के डीन/प्राचार्य को अधिसूचित तारीख तथा समय पर रिपोर्ट करेगा,—

- (1) डीन/प्राचार्य, दो प्रोफेसर तथा आरक्षित प्रवर्ग के कम से कम दो चिकित्सा शिक्षकों से मिलकर बनने वाली प्रवेश समिति भी मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाए जाएं, तो अभ्यर्थी को आवंटित विषय, पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में प्रवेश देगी.
- (2) एक बार अखिल भारतीय अथवा राज्य कोटे के अन्तर्गत प्रवेश हो जाने पर समस्त मूल प्रमाण-पत्र महाविद्यालय द्वारा रखे जाएंगे तथा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अभ्यर्थी को जारी किया जाएगा.
- (3) मूल दस्तावेज अध्ययन अवधि पूर्ण करने अथवा पाठ्यक्रम की सीट तथा महाविद्यालय से किसी भी कारण से त्याग-पत्र देने अथवा छोड़ने पर ही लौटाये जायेंगे.
- (4) उम्मीदवार को एक बार किसी विशिष्ट विषय, पाठ्यक्रम/श्रेणी एवं महाविद्यालय में प्रवेश दिये जाने के बाद किसी भी आधार पर उसमें कोई परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी.
- (5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-9-2002 एम. सी. आई. विरुद्ध मधु सिंह एवं अन्य में अधिकथित निदेशों के अनुक्रम में एम. सी. आई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 31-5-2010 के पश्चात् किसी भी छात्र को पी. जी. पाठ्यक्रम/विषय/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा.
- (6) जो अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक प्रवेश प्राप्त नहीं करता है, प्रवेश लेने के बाद स्थान छोड़ देता है/प्रवेश प्राप्त कर संस्था प्रमुख की बिना अनुमति के निरंतर पन्द्रह दिवस की कालावधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसका दावा समपहत हो जाएगा तथा उसे दिया गया आवंटन/प्रवेश रद्द कर दिया गया समझा जाएगा.
- (7) शैक्षणिक सत्र दिनांक 02-05-2010 से प्रारंभ होगा. किसी भी कारण से उपलब्ध रिक्त स्थान पर किसी विद्यार्थी को प्रवेश देने की अंतिम तिथि 31-05-2010 होगी.
- (8) फीस वापसी.—अंतिम काउंसलिंग की तिथि के 7 दिवस पूर्व तक प्रवेश निरस्त किये जाने पर ही फीस वापसी की पात्रता होगी. इस अवधि के पश्चात् फीस वापस नहीं होगी. तथापि 10 प्रतिशत राशि प्रोसेसिंग फीस के रूप में संबंधित संस्था द्वारा काटी जा सकेगी.

#### 22. प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित समय सूची—

1.	काउंसलिंग समाप्त हो जायेगी	-	अप्रैल, 2010
2.	आवंटित महाविद्यालय तथा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तारीख.	-	01-05-2010
3.	शिक्षण सत्र का प्रारंभ	-	02-05-2010
4.	किसी भी कारण से हुई रिक्तियों पर किसी छात्र को प्रवेश दिये जाने की अंतिम तारीख.	-	31-05-2010

23. नियमों का स्पष्टीकरण.—किसी नियम तथा प्रवेश के लिए किसी प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार राज्य सरकार अपने पास आरक्षित रखती है. इन नियमों से निर्वचन तथा उनके संशोधनों से संबंधित किसी विवाद की दशा में, राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा.

24. निरसन तथा व्यावृत्ति.—मध्यप्रदेश चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा स्नातकोत्तर (पाठ्यक्रम) प्रवेश परीक्षा नियम, 2009 एतद्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

डी. डी. अग्रवाल, अपर सचिव.

Table No. 1

Degree (Pre-P. G. Examination) - 2010 (Open)

Sr. No.	Subject	Bhopal			Gwalior			Indore			Jabalpur			Rewa			Grand Total											
		UR	SC	Total	UR	SC	Total	UR	SC	Total	UR	SC	Total	UR	SC	Total												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	
1	Anaesthesiology	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7
2	Anatomy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Community Medicine	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
4	Dematology Venerology and Leprosy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Forensic Medicine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	General Medicine	3	1	1	6	2	1	1	1	1	5	2	1	1	1	5	1+1*	1	1	1	5	3	0	1	0	4	25	
7	General Surgery	2	1	1	5	2	1	1	0	4	2	1	1	1	1	5	2	1	1	1	5	1	1	0	0	2	21	
8	Obstetrics & Gynaecology	2	0	1	0	3	1	0	0	1	2	2	1	0	0	3	2	0	1	0	3	1	0	0	1	2	13	
9	Ophthalmology	1	1	0	1	3	1	0	1	0	2	1	0	0	1	2	1	0	1	0	2	1	1	0	0	2	11	
10	Orthopaedics	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	6	
11	Oto-rhino-laryngology	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	
12	Paediatrics	1	0	1	1	3	2	0	0	1	3	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	10	
13	Pathology	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	5	
14	Pharmacology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Physiology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Radio-Diagnosis	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	
17	Radio-therapy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Total		13	4	6	4	27	13	3	4	3	23	13	4	4	4	25	11	4	6	3	24	6	3	2	1	12	111	

\* One seat reserved for PH in compliance with the order of Hon'ble High Court of MP Jabalpur as passed in WP 4828/09 dated 29-8-09.

## Degree (In Service Examination) - 2010

Table No. 2

S. No.	Subject	Bhopal			Gwalior			Indore			Jabalpur			Rewa			Grand Total											
		UR	SC	OBC	UR	SC	ST	UR	SC	ST	UR	SC	ST	UR	SC	ST												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	
1	Anaesthesiology	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4
2	Anatomy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
3	Community Medicine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	0	0	0	0	1
4	Dermatology Venerology and Leprosy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Forensic Medicine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	General Medicine	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5
7	General Surgery	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	6
8	Obstetrics & Gynaecology.	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
9	Ophthalmology	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10	Orthopaedics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Oto-rhino-laryngology	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	Paediatrics	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	1	5	
13	Pathology	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
14	Pharmacology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
15	Physiology	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Radio-Diagnosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	Radio-therapy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total . . .		4	1	1	1	7	3	1	2	2	8	3	2	3	1	9	4	1	1	1	7	4	1	1	0	5	37	

**Diploma (Pre-PG.) -2010 (Open)**

Table No. 3

Sr. No.	Subject	Bhopal			Gwalior			Indore			Jabalpur			Rewa			Grand Total											
		UR	SC	Total	UR	SC	Total	UR	SC	Total	UR	SC	Total	UR	SC	Total												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	
1	DA	1	1	0	0	2	2	0	1	0	3	2	0	1	0	3	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	12
2	DCH	1	1	1	4	1	1	0	0	2	1	1	0	1	3	1	1	0	0	0	2	2*	0	1	0	3	14	
3	DCP	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
4	DGO	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	11	
5	DLO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
6	DMRD	0	1	0	1*	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
7	DOMS	1	0	1	0	2	1	0	0	1	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
8	D-ORTH	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	6	
9	DTCD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Total		9	3	3	3	18	5	1	2	1	9	8	3	4	3	18	6	3	2	2	13	2	0	1	0	3	61	

**Diploma in Service (Pre-PG.) -2010 (Open)**

Table No. 4

Sr. No.	Subject	Bhopal			Gwalior			Indore			Jabalpur			Rewa			Grand Total										
		UR	SC	Total	UR	SC	Total	UR	SC	Total	UR	SC	Total	UR	SC	Total											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1	DA	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
2	DCH	0	0	1*	0	1	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6
3	DCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
4	DGO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6	
5	DLO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
6	DMRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
7	DOMS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	D-ORTH	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	DTCD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		4	1	1	1	7	1	0	2	1	4	3	2	1	1	7	3	1	1	0	5	1	0	0	0	1	24

**P.G. COURSE-2010 SESSION**  
**SEATS AVAILABLE CATEGORY WISE**

Table No. 5

Type of Seat	Category wise												Grand Total
	UR (50%)			ST (20%)			SC (16%)			OBC (14%)			
	X	F	Total	X	F	Total	X	F	Total	X	F	Total	
Non Service	56	28	84	23	10	33	19	8	27	16	7	23	167
In Service	21	9	30	9	4	13	7	3	10	5	2	7	60
PH (Non Service)	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1	5*
PH Inservice	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2*
<b>Total Seats</b>	<b>80</b>	<b>37</b>	<b>117</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>234</b>

\* Physically Handicapped (PH) in service seat of reserve category will be rotated as follows :  
2008-SC, 2009-OBC, 2010-ST.

\* As per Table No. 1-4

**प्रोफार्मा-1**

प्रायोजित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

- यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. .... को मध्यप्रदेश चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस./स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए प्रायोजित किया जाता है.
- डॉ. .... इसके (संगठन का नाम) स्थायी / अस्थायी / नियमित / संविदा कर्मचारी हैं.
- यह कि अभ्यर्थी को प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जावेगी, इस प्रकार की जिम्मेदारी प्रायोजित संस्था/संबंधित संगठन/विभाग की होगी.

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर .....

प्राधिकृत अधिकारी .....

दिनांक .....

**प्रोफार्मा-2**

प्री-पी.जी. परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला शपथ-पत्र का प्रोफार्मा )

मैं, डॉ. ....

आत्मज/आत्मजा .....

आयु .....

निवासी .....

सत्यनिष्ठा से घोषणा



करता हूँ/करती हूँ कि—

1. वर्तमान में, मैं, मध्यप्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों में यथा 2007, 2008, 2009 में मध्यप्रदेश प्री.पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा चयन के पश्चात् अध्ययनरत नहीं हूँ.
2. पिछले तीन वर्षों के दौरान (2007, 2008, 2009) में मुझे मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी विषय में मध्यप्रदेश स्टेट प्री.पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा कोई स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा आवंटित नहीं किया गया है.
3. गत दो वर्षों के दौरान (यथा 2008, 2009) में, मैंने कोई भी स्नातकोत्तर डिप्लोमा या गत तीन वर्षों के दौरान (2007, 2008, 2009) में कोई स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नहीं की है.

दिनांक . . . . .

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पता

### सत्यापन

मैं, डॉ. . . . .

आत्मज/आत्मजा

आयु . . . . .

निवासी . . . . .

सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि अनुक्रमांक क्र.

1 से 3 तक में दिये गये तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं.

सत्यापनकर्ता व्यक्ति

दिनांक . . . . .

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पता

### प्रोफार्मा-3

प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्कूटनी, काउंसिलिंग, आवंटन संबंधी प्रोफार्मा (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

मैं/अधिकृत प्रतिनिधि घोषणा करता हूँ कि मैंने प्री. पी. जी. प्रवेश परीक्षा नियम 2010 को भलीभांति पढ़ लिया है तथा समझ लिया है मुझे मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की जानकारी है. तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसिलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ.

मैं, काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये आज मूल प्रमाण-पत्र अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ. यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल

नहीं है, अथवा असत्य है, या अधूरी है या विनिर्देशानुसार नहीं है, तो ऐसा होने पर, यद्यपि मुझे किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाये—

1. प्री. पी. जी. 2010 का रोल नं. :
2. मेरिट सूची क्रमांक :
3. पूरा नाम :
4. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता :
5. श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) :
6. मूल प्रमाण-पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें:—
  - क प्री. पी. जी. की अंक सूची.
  - ख. सभी एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. परीक्षाओं की अंक सूची
  - ग. इन्टर्नशिप को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र
  - घ. स्थायी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र
  - ङ. स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित सम्बद्धता
  - च. भारत का नागरिक होने संबंधी प्रमाण-पत्र
  - छ. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र
  - ज. मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी प्रमाण-पत्र
  - झ. मध्यप्रदेश के दंत स्वशासी चिकित्सा/दन्त महाविद्यालय में नान-क्लिनिकल/पैराक्लिनिकल/सहायक प्राध्यापक का कार्य करने से संबंधित सम्बद्धता.
  - ञ. प्रायोगिक प्रमाण-पत्र, पेरा (9) से संबंधित.

अभ्यर्थी/अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता

स्कूटनी (छानबीन समिति द्वारा भरा जावे)

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों, (1-10) की जांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं.

सम्यक् सत्यापन के पश्चात् अभ्यर्थी परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने के लिये पात्र हैं, या निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कराने के कारण या अन्य कारणों से काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं है.

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक, नाम एवं पदनाम

प्रोफार्मा-4

अभ्यर्थी/अधिकृत प्रतिनिधि की काउंसलिंग के माध्यम से विषय/पाठ्यक्रम/संस्था के आवंटन हेतु सहमति

मैं/मेरा अधिकृत प्रतिनिधि आज दिनांक . . . . . को काउंसलिंग में भाग लेकर अपना क्रम आने पर उपलब्ध पाठ्यक्रम, में प्रवेश लेने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमत या असहमत हूँ या "आप्ट फार वेटिंग" की सूची में अपना नाम रखने के लिये सहमत या असहमत हूँ.

तदानुसार मुझे संस्था . . . . . पाठ्यक्रम . . . . . विषय . . . . . आवंटित करने का कष्ट करें.

नाम सदस्य . . . . .	अभ्यर्थी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
रोल नं. . . . .	दिनांक . . . . .
मेरिट नं. . . . .	पूरा नाम एवं पता . . . . .

काउंसलिंग द्वारा आवंटन

डॉ. . . . . प्री. पी. जी. रोल नंबर . . . . . मेरिट नं. . . . . श्रेणी . . . . .  
अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छापूर्वक चयन के आधार पर उन्हें पाठ्यक्रम . . . . . विषय . . . . . तथा संस्था . . . . . आवंटित की जाती है.

या

अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम . . . . . विषय . . . . . तथा संस्था . . . . . चयन न करने के कारण आवंटन नहीं दिया गया.

दिनांक . . . . .	आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर
	दिनांक . . . . .
	नाम तथा पद नाम . . . . .

शपथ-पत्र

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री . . . . . आयु . . . . . निवासी . . . . . आज दिनांक . . . . . को शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा काउंसलिंग में लिये गये निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी.

मैं आवंटित संस्था में प्रवेश लेने के पश्चात्, प्री पी जी नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूंगा/करूंगी.

1. गवाह के हस्ताक्षर	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक . . . . .	दिनांक . . . . .
नाम . . . . .	पूरा नाम . . . . .
पूरा पता . . . . .	पद . . . . .

## 2. गवाह के हस्ताक्षर

दिनांक .....

नाम .....

पूरा पता .....

## प्रोफार्मा-5

## वचनबंध

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु. .... वर्ष ..... माह  
 .... रोल नं. .... स्थान एवं रैंक क्रमांक ..... मध्यप्रदेश प्री. पी. जी. परीक्षा-2010 द्वारा एम. डी./एम.  
 एस./डिप्लोमा/एम. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु यह शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री/श्रीमती/  
 कुमारी ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु. .... वर्ष ..... के द्वारा चयन/रद्दकरण/  
 के संबंध में दिनांक ..... को निर्णय करूंगा कि मेरे लिये बाध्यकारी होगा एवं मेरे प्रतिनिधि द्वारा लिये गये निर्णय के  
 अलावा मेरा कोई भी अधिकार/स्वत्व नहीं बनेगा.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम .....

रोल नं. ....

पता .....

## प्रोफार्मा-6

## प्राधिकार-पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... श्री .....  
 रोल नं. .... मध्यप्रदेश प्री. पी. जी. 2010 के एम. डी./एम. एस./डिप्लोमा/एम. डी. एस./पी. जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश  
 हेतु श्री ..... को अधिकृत करता/करती हूँ. प्राधिकृत अभ्यर्थी दिनांक ..... को चयन/रद्दकरण/  
 एम. डी./एम. एस./डिप्लोमा/एम. डी. एस. पी. जी. पाठ्यक्रम, 2010 के एक स्थान (सीट) का समिति के समक्ष चयन/रद्दकरण हेतु  
 मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे/करेंगी. प्राधिकृत अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो अभिप्रमाणित किये गये हैं.

अभ्यर्थी का फोटो  
 राजपत्रित अधिकारी  
 द्वारा अभिप्रमाणित

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम .....

रोल नं. ....

रैंक .....

पता .....

प्राधिकृत प्रतिनिधि  
 का फोटो तथा  
 हस्ताक्षर जो  
 अभ्यर्थी द्वारा  
 प्रमाणित हो.

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी द्वारा अभिप्रमाणित.

नोट—हस्ताक्षर एवं सील, फोटो एवं कागज दोनों पर आना चाहिये.

प्रोफार्मा-7

अखिल भारतीय कोटा सीट त्याग करने के बदले राज्य चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सीट का आवंटन हेतु घोषणा या प्ररूप

मैं/मुझे ..... पिता/पुत्री ..... निवासी .....  
 रोल नं. .... अखिल भारतीय प्री/पीजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 2010 में रैंक क्रमांक ..... पर रखा गया है तथा मैंने आवंटन में ..... विषय ..... महाविद्यालय में सीट का विकल्प लिया है तथा मैंने तारीख ..... को उसमें प्रवेश लिया है.

(एक) मैं मध्यप्रदेश प्री/पीजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 2010 में भी चयनित हुआ हूँ.  
 (दो) मैं उपरोक्त नामित व्यक्ति एतद्द्वारा आवंटित तथा प्रवेश के लिये इस परामर्श (काउन्सलिंग) के दौरान मेरी रैंक पर उपलब्ध मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सीटों में से ..... पाठ्यक्रम में महाविद्यालय ..... में स्थान का चयन करता हूँ.

इस आवंटन के अनुसरण में, मैं ..... पाठ्यक्रम ..... महाविद्यालय ..... में पूर्व से ही आवंटित सीट पर दावा नहीं करूंगा. इसे मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से रिक्त माना जाए.

या

(तीन) मैं उपरोक्त नामित व्यक्ति, आवंटन के लिये मेरी रैंक पर उपलब्ध स्थान छोड़ता हूँ तथा मैं ..... पाठ्यक्रम ..... पूर्व आवंटित महाविद्यालय ..... में अपना अध्ययन जारी रखूंगा.

अभ्यर्थी या प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक .....  
 स्थान .....


नाम .....  
 रैंक क्रमांक. ....

सेवारत अभ्यर्थी के लिये प्री-पी.जी. परीक्षा का प्ररूप

अभ्यर्थी का नाम

पिता का नाम

जन्मतिथि



जाति—अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य (प्रमाणपत्र संलग्न करें)

पदस्थापना का स्थान पी. एच. सी./सी. एच. सी./डी. एच.

ब्लाक

जिला

स्थायी पता : मकान नं. .... ग्राम/मोहल्ला

तहसील

जिला

पिन कोड

पत्राचार का पता : मकान नं. .... ग्राम/मोहल्ला

तहसील

जिला

पिन कोड

दूरभाष क्रमांक कोड सहित

कार्यालय

निवास

प्रथम नियुक्ति की तारीख

क्या लोक सेवा आयोग से चयनित हैं? हाँ/नहीं

लोक सेवा आयोग पुष्टि तारीख

लोक सेवा आयोग मेरिट क्रमांक

क्या विभाग द्वारा नियमित हैं? हाँ/नहीं

नियमितकरण का दिनांक

मेरिट क्रमांक

आदेश क्रमांक

पूर्व स्नातक चिकित्सा उपाधि का वर्णन . . . . . उत्तीर्ण करने का वर्ष . . . . .  
 क्या कोई पीजी उपाधि/डिप्लोमा धारक हैं . . . . . उत्तीर्ण करने का वर्ष . . . . .  
 क्या अखिल भारतीय परीक्षा में . . . . .  
 उपस्थित हुए हैं तथा प्रवेश से इंकार किया गया है . . . . .  
 चिकित्सा परिषद् का पंजीयन क्रमांक . . . . .

### घोषणा

मैं, एतद्वारा शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान तथा विश्वास से सही है. यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरी अभ्यर्थिता समपहृत हो जाएगी.

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

### FORM -7

#### DECLARATION FORM FOR

#### Allotment of a Seat in State Medical/Dental College in lieu of resignation from All India Quota Seat

I, . . . . . S/o, D/o  
 . . . . . Resident of . . . . .  
 . . . . . Bearing Roll No. . . . . have been placed at  
 Rank Number . . . . . in the All India Pre/Post Graduate, Medical/ Dental  
 Entrance Examination, 2010 and I had opted a Seat at College . . . . .  
 Subject . . . . . in the allotment, and have taken admission there on  
 dated . . . . .

I (i) I am also selected in Madhya Pradesh Pre/Post Graduate Medical / Dental Entrance Examination, 2010.

I(ii) I, the above named hereby choose a seat at . . . . .  
 College in . . . . . course from amongst the seats in Medical/Dental Colleges  
 of M. P. available at my rank during this counselling for allotment and admission.

Following this allotment, I shall have no claim on the seat allotted to me earlier at College . . . . .  
 . . . . . Course . . . . . The same stands vacated by me with immediate effect.

OR

(iii) I, the above named reject the seats available at my rank for allotment and I will continue my studies at  
 my earlier allotted College . . . . . Course . . . . .

**Signature of the Candidate  
 or authorised representative**

Name . . . . .

Rank No. . . . .

Date . . . . .

Time . . . . .

**FORM FOR PRE PG EXAMINATION FOR IN-SERVICE CANDIDATE**

Name of Candidate . . . . .

Father's Name . . . . .

Date of Birth . . . . .

Caste Schedule Tribe/Schedule Caste/Other Backward Class/  
General (attach certificate).

Place of posting PHC/CHC/DH. . . . . .Block. . . . . Distt . . . . .

Permanent address House No. . . . . .Village/Mohalla . . . . .Tehsil . . . . .

District . . . . . .Pin Code . . . . .

Address for correspondence House No. . . . . .Village/Mohalla. . . . .

Tehsil . . . . . District . . . . . .Pin Code . . . . .

Telephone No. with code Office . . . . . Residence. . . . .

Date of First Appointment

Whether Selected by PSC? . . . . . Yes/No

Date of PSC Confirmation . . . . . PSC Merit No.

Whether Regularised by Deptt? . . . . . Yes/No

Date of Regularisation . . . . . Merit No. . . . . .Order No.

Details of under graduate Medical Degree . . . . . Year of Passing

Whether holding any PG Degree/Diploma . . . . . Year of Passing . . . . .

Whether appeared in all India Test & refused admission

Medical Council Registration No.

**Declaration**

I, do hereby solemnly affirm that the information given by me is correct to the best of my knowledge & belief. If the information is found incorrect my candidature shall be forfeited.

Signature. . . . .

Name. . . . .

Date. . . . .

गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिये

बंध पत्र

रुपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे

मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

मैं, . . . . . पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री . . . . . निवासी . . . . .  
मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ.

- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम 2010 एवं उसमें विहित प्रावधानों को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है.
- मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्र/छात्र हूँ.

4. मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि:—

- अ. मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत शासन द्वारा निर्देशित स्थानों में विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा.
- ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों विहित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये बंधनकारी रहेगा.
- स. मैं निम्न बातों के लिये अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ :—
- (1) यह कि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा.
- (2) यह कि, विहित अवधि (पी. जी. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु तीन वर्ष अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु दो वर्ष की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में मैं शासन को पी. जी. डिग्री हेतु रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रुपये 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) का शासन को भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ.)
- द. यह कि, इस बंध पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा.

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :—

1. ....
2. ....

#### प्रतिभूतिकर्ता

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
उपरोक्तानुसार बंध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूली की जा सकेगी.

हस्ताक्षर आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :—

1. ....
2. ....

सेवारत अभ्यर्थियों के लिये

बंध पत्र

रुपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे

मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ.



2. मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम 2010 एवं उसमें विहित प्रावधानों को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।
3. मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।
4. मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि:—
  - अ. मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत शासन द्वारा निर्देशित ग्रामीण क्षेत्रों में विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।
  - ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों विहित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये बंधनकारी रहेगा।
  - स. मैं निम्न बातों के लिये अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ :—
    - (1) यह कि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा।
    - (2) यह कि, विहित अवधि (पी. जी. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु तीन वर्ष अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु पांच अथवा तीन वर्ष की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में, मैं शासन को पी. जी. डिग्री हेतु रुपये 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रुपये 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) का शासन को भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।
  - द. यह कि, इस बंध पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :—

1. ....
2. ....

**प्रतिभूतिकर्ता**

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
उपरोक्तानुसार बंध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूली की जा सकेगी।

हस्ताक्षर आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :—

1. ....
2. ....

**प्रोफार्मा-1**

**प्रायोजित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र**

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. .... को मध्यप्रदेश चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस./स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए प्रायोजित किया जाता है।
2. डॉ. .... इसके (संगठन का नाम) स्थायी / अस्थायी / नियमित / संविदा कर्मचारी हैं।

- 3 यह कि अभ्यर्थी को प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, इस प्रकार की जिम्मेदारी प्रायोजित संस्था संबंधित संगठन/विभाग की होगी.

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर .....

प्राधिकृत अधिकारी .....

दिनांक .....

## प्रोफार्मा-2

प्री-पी.जी. परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला शपथ-पत्र का प्रोफार्मा

मैं, डॉ. .... आत्मज/आत्मजा .....

आयु ..... निवासी ..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि—

- वर्तमान में, मैं मध्यप्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों में यथा 2007, 2008, 2009 में मध्यप्रदेश प्री.पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा चयन के पश्चात् अध्ययनरत नहीं हूँ.
- पिछले तीन वर्षों के दौरान (2007, 2008, 2009) में, मुझे मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी विषय में मध्यप्रदेश स्टेट प्री.पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा कोई स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा आवंटित नहीं किया गया है.
- गत दो वर्षों के दौरान (यथा 2008, 2009) में मैंने कोई भी स्नातकोत्तर डिप्लोमा या गत तीन वर्षों के दौरान (2007, 2008, 2009) में कोई स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नहीं की है.

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

पता .....

## सत्यापन

मैं, डॉ. .... आत्मज/आत्मजा .....

आयु ..... निवासी ..... सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि अनुक्रमांक 1 से 3 तक में दिये गये तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं.

सत्यापनकर्ता व्यक्ति

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

पता .....

## प्रोफार्मा-3

प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्कूटनी, काउंसलिंग, आवंटन संबंधी प्रोफार्मा (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

मैं/अधिकृत प्रतिनिधि घोषणा करता हूँ कि मैंने प्री. पी. जी. प्रवेश परीक्षा नियम 2010 को भलीभांति पढ़ लिया है तथा समझ लिया है, मुझे मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की जानकारी है. तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ.

मैं काउंसलिंग में भाग लेने के लिये आज मूल प्रमाण-पत्र अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ. यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है, या असत्य है, या अधूरी है, या विनिर्देशानुसार नहीं है, तो ऐसा होने पर, यद्यपि मुझे किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाए—

1. प्री. पी. जी. 2010 का रोल नं. :
2. मेरिट सूची क्रमांक :
3. पूरा नाम :
4. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता :
5. श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) :
6. मूल प्रमाण-पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें:—
  - क प्री. पी. जी. की अंक सूची.
  - ख. सभी एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. परीक्षाओं की अंक सूची
  - ग. इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र
  - घ. स्थायी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र
  - ङ. स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित सम्बद्धता
  - च. भारत का नागरिक होने संबंधी प्रमाण-पत्र
  - छ. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र
  - ज. मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी प्रमाण-पत्र
  - झ. मध्यप्रदेश के दंत स्वशासी चिकित्सा/दंत महाविद्यालय में नान-क्लिनिकल/पैराक्लिनिकल/सहायक प्राध्यापक का कार्य करने से संबंधित सम्बद्धता.
  - ञ. प्रायोगिक प्रमाण-पत्र, पेरा (9) से संबंधित

अभ्यर्थी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता

## स्कूटनी (छानबीन समिति द्वारा भरा जावे)

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों, (1-10) की जांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं.

सम्यक् सत्यापन के पश्चात्, अभ्यर्थी परामर्श (काउंसलिंग) में भाग लेने के लिये पात्र है, या निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण/या अन्य कारणों से काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं है.

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक, नाम एवं पदनाम

## प्रोफार्मा-4

**अभ्यर्थी/अधिकृत प्रतिनिधि की काउंसलिंग के माध्यम से विषय/ पाठ्यक्रम/ संस्था के  
आवंटन हेतु सहमति**

मैं/ मेरा अधिकृत प्रतिनिधि आज दिनांक . . . . . को काउंसलिंग में भाग लेकर अपना क्रम आने पर उपलब्ध पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमत या असहमत हूँ या "आप्ट फार वेटिंग" की सूची में अपना नाम रखने के लिये सहमत या असहमत हूँ.

तदानुसार मुझे संस्था . . . . . पाठ्यक्रम . . . . . विषय . . . . . आवंटित करने का कष्ट करें.

नाम सदस्य . . . . .	अभ्यर्थी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
रोल नं. . . . .	दिनांक . . . . .
मेरिट नं. . . . .	पूरा नाम एवं पता . . . . .

**काउंसलिंग द्वारा आवंटन**

डॉ. . . . . प्री. पी. जी. रोल नंबर . . . . . मेरिट नं. . . . . श्रेणी . . . . .  
अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छापूर्वक चयन के आधार पर उन्हें पाठ्यक्रम . . . . . विषय . . . . . तथा  
संस्था . . . . . आवंटित की जाती है.

या

अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम . . . . . विषय . . . . . तथा संस्था . . . . . चयन न करने के कारण  
आवंटन नहीं दिया गया.

दिनांक . . . . .	आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर
	दिनांक . . . . .
	नाम तथा पदनाम . . . . .

**शपथ-पत्र**

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री . . . . . आयु . . . . . निवासी . . . . . आज दिनांक . . . . .  
को शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा काउंसलिंग में लिये गये निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी.

मैं आवंटित संस्था में प्रवेश लेने के पश्चात्, प्री. पी. जी. नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूंगा/करूंगी.

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. गवाह के हस्ताक्षर | अभ्यर्थी के हस्ताक्षर |
| दिनांक . . . . .     | दिनांक . . . . .      |
| नाम . . . . .        | पूरा नाम . . . . .    |
| पूरा पता . . . . .   | पद . . . . .          |
| 2. गवाह के हस्ताक्षर |                       |
| दिनांक . . . . .     |                       |
| नाम . . . . .        |                       |
| पूरा पता . . . . .   |                       |

प्रोफार्मा-5

वचनबंध

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु. .... वर्ष .....  
 माह ..... रोल नं. .... स्थान एवं रैंक नं. .... मध्यप्रदेश प्री. पी. जी. परीक्षा-2010 द्वारा एम. डी/एम.  
 एस./डिप्लोमा/ एम. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु यह शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री/श्रीमती/  
 कुमारी ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु. .... वर्ष ..... के द्वारा चयन/रद्दकरण  
 के संबंध में दिनांक ..... को निर्णय करूंगा कि मेरे लिये बाध्यकारी होगा एवं मेरे प्रतिनिधि द्वारा लिये गये निर्णय के  
 अलावा मेरा कोई भी अधिकार/स्वत्व नहीं बनेगा.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम .....

रोल नं. ....

पता .....

प्रोफार्मा-6

प्राधिकार-पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... श्री .....  
 रोल नं. .... मध्यप्रदेश प्री. पी. जी. 2010 के एम. डी./एम. एस./डिप्लोमा/एम. डी. एस./पी. जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश  
 हेतु श्री ..... को अधिकृत करता/करती हूँ. प्राधिकृत अभ्यर्थी दिनांक ..... को चयन/रद्दकरण/  
 एम. डी./एम. एस./डिप्लोमा/ एम. डी. एस. पी. जी. पाठ्यक्रम, 2010 के एक स्थान (सीट) का समिति के समक्ष चयन/रद्दकरण हेतु  
 मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे/करेंगी. प्राधिकृत अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो अभिप्रमाणित किये गये हैं.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम .....

रोल नं. ....

रैंक .....

पता .....

अभ्यर्थी का फोटो  
 राजपत्रित अधिकारी  
 द्वारा अभिप्रमाणित

प्राधिकृत प्रतिनिधि  
 का फोटो तथा  
 हस्ताक्षर जो  
 अभ्यर्थी द्वारा  
 प्रमाणित हो.

.....

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी द्वारा अभिप्रमाणित.

नोट—हस्ताक्षर एवं सील, फोटो एवं कागज दोनों पर आना चाहिये.

## प्रोफार्मा-7

**अखिल भारतीय कोटा सीट त्याग करने के बदले राज्य चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सीट का आवंटन हेतु घोषणा या प्ररूप**

मैं/मुझे ..... पिता/पुत्री ..... निवासी: .....  
 रोल नं. .... अखिल भारतीय प्री/पीजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 2010 में रैंक क्रमांक ..... पर रखा गया है तथा मैंने आवंटन में ..... विषय ..... महाविद्यालय में सीट का विकल्प लिया है तथा मैंने तारीख ..... को उसमें प्रवेश लिया है.

(एक) मैं मध्यप्रदेश प्री/पीजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा प्रवेश परीक्षा, 2010 में भी चयनित हुआ हूँ.

(दो) मैं उपरोक्त नामित व्यक्ति एतद्वारा आवंटित तथा प्रवेश के लिये इस परामर्श (काउन्सलिंग) के दौरान मेरी रैंक पर उपलब्ध मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सीटों में से ..... पाठ्यक्रम में महाविद्यालय ..... में स्थान का चयन करता हूँ.

इस आवंटन के अनुसरण में, मैं ..... पाठ्यक्रम ..... महाविद्यालय ..... में पूर्व से ही आवंटित सीट पर दावा नहीं करूंगा. इसे मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से रिक्त माना जाए.

**या**

(तीन) मैं उपरोक्त नामित व्यक्ति, आवंटन के लिये मेरी रैंक पर उपलब्ध स्थान छोड़ता हूँ तथा मैं ..... पाठ्यक्रम ..... पूर्व आवंटित महाविद्यालय ..... में अपना अध्ययन जारी रखूंगा.

अभ्यर्थी या प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक .....

नाम .....

स्थान .....

रैंक क्रमांक. ....

**सेवारत अभ्यर्थी के लिये प्री-पी.जी. परीक्षा का प्ररूप**

अभ्यर्थी का नाम

पिता का नाम

जन्मतिथि

जाति—अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य (प्रमाणपत्र संलग्न करें)

पदस्थापना का स्थान पी. एच. सी./सी. एच. सी./डी. एच. ....

ब्लाक .....

जिला .....

स्थायी पता : मकान नं. .... ग्राम/मोहल्ला .....

तहसील .....

जिला .....

पिन कोड .....

पत्राचार का पता : मकान नं. .... ग्राम/मोहल्ला .....

तहसील .....

जिला .....

पिन कोड .....

दूरभाष क्रमांक कोड सहित .....

कार्यालय .....

निवास .....

प्रथम नियुक्ति की तारीख .....

क्या लोक सेवा आयोग से चयनित हैं? .....


हाँ/नहीं

लोक सेवा आयोग पुष्टि तारीख .....

लोक सेवा आयोग मेरिट क्रमांक .....

क्या विभाग द्वारा नियमित हैं? .....

हाँ/नहीं



नियमितिकरण का दिनांक . . . . . मेरिट क्रमांक . . . . . आदेश क्रमांक . . . . .  
 पूर्व स्नातक चिकित्सा उपाधि का वर्णन . . . . . उत्तीर्ण करने का वर्ष . . . . .  
 क्या कोई पीजी उपाधि/डिप्लोमा धारक हैं . . . . . उत्तीर्ण करने का वर्ष . . . . .  
 क्या अखिल भारतीय परीक्षा में  
 उपस्थित हुए हैं तथा प्रवेश से इंकार किया गया है . . . . .  
 चिकित्सा परिषद् का पंजीयन क्रमांक . . . . .

**घोषणा**

मैं, एतद्वारा शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान तथा विश्वास से सही है. यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरी अभ्यर्थिता समपहत हो जाएगी.

हस्ताक्षर

नाम

तारीख

**FORM -7**

**DECLARATION FORM FOR**

**Allotment of a Seat in State Medical/Dental College in lieu of resignation from All India Quota Seat**

I, . . . . . S/o,  
 D/o . . . . . Resident of . . . . .  
 . . . . . Bearing Roll No. . . . . have been placed  
 at Rank Number . . . . . in the All India Pre/Post Graduate, Medical/ Dental  
 Entrance Examination, 2010 and I had opted a Seat at College . . . . .  
 Subject . . . . . in the allotment, and have taken admission there  
 on dated . . . . .

1 (i) I am also selected in Madhya Pradesh Pre/Post Graduate Medical / Dental Entrance Examination, 2010.

1(ii) I, the above named hereby choose a seat at . . . . .  
 College in . . . . . course from amongst the seats in Medical/Dental Colleges  
 of M. P. available at my rank during this counselling for allotment and admission.

Following this allotment, I shall have no claim on the seat allotted to me earlier at College . . . . .  
 . . . . . Course . . . . . The same stands vacated by me with immediate effect.

OR

(iii) I, the above named reject the seats available at my rank for allotment and I will continue my studies at  
 my earlier allotted College . . . . . Course . . . . .

**Signature of the Candidate  
 or authorised representative**

Name . . . . .

Rank No. . . . .

Date . . . . .

Time . . . . .

**FORM FOR PRE PG EXAMINATION FOR IN-SERVICE CANDIDATE**

Name of candidate . . . . .

Father's Name . . . . .

Date of Birth . . . . .

Caste Schedule Tribe/Schedule Caste/Other Backward Class/  
General (attach certificate).

Name of Administrative Department . . . . .

Place of posting . . . . .Block. . . . . Distt . . . . .

Permanent address House No. . . . . Village/Mohalla . . . . . Tehsil . . . . .  
District . . . . . Pin Code . . . . .

Address for correspondence House No. . . . . Village/Mohalla. . . . .  
. . . . . Tehsil . . . . . District . . . . . Pin Code . . . . .

Telephone No. with code Office . . . . . Residence. . . . .

Date of First Appointment

Whether Selected by PSC? Yes/No

Date of PSC Confirmation . . . . . PSC Merit No.

Whether Regularised by Deptt? Yes/No.

Date of Regularisation . . . . . Merit No. . . . . Order No. . . . .

Details of under graduate Medical Degree Year of Passing

Whether holding any PG Degree/Diploma . . . . . Year of Passing . . . . .

Whether appeared in All India Test & refused admission

Medical Council Registration No.

**Declaration**

I, do hereby solemnly affirm that the information given by me is correct to the best of my knowledge & belief. If the information is found incorrect my candidature shall be forfeited.

Signature. . . . .

Name. . . . .

Date. . . . .



सेवारत अभ्यर्थियों के लिये

बंध पत्र

रूपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे

मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ.

2. मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है.
3. मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ.
4. मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि:—
  - अ. मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत शासन द्वारा निर्देशित ग्रामीण क्षेत्रों में विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा.
  - ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों विहित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये बंधनकारी रहेगा.
  - स. मैं निम्न बातों के लिये अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ :—
    - (1) यह कि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं बचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा.
    - (2) यह कि, विहित अवधि (पी. जी. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु तीन वर्ष अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु दो वर्ष की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में मैं शासन को पी. जी. डिग्री हेतु रुपये 10,00000/- (रुपये दस लाख मात्र) अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रुपये 8,000000/- (रुपये आठ लाख मात्र) का शासन को भुगतान करने का बचन देती/देता हूँ.)
  - द. यह कि, इस बंध पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा.

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :—

1. ....
2. ....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूली की जा सकेगी.

हस्ताक्षर आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :—

1. ....
2. ....

गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिये

बंध पत्र

रूपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे

मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....

मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।

2. मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।
3. मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ।
4. मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि:—
  - अ. मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत शासन द्वारा निर्देशित स्थानों में विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।
  - ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों विहित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये बंधनकारी रहेगा।
  - स. मैं निम्न बातों के लिये अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ :—
    - (1) यह कि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं बचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा।
    - (2) यह कि, विहित अवधि (पी. जी. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु तीन वर्ष अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु दो वर्ष की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में मैं शासन को पी. जी. डिग्री हेतु रुपये 10,00000/- (रुपये दस लाख मात्र) अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रुपये 8,00000/- (रुपये आठ लाख मात्र) का शासन को भुगतान करने का बचन देती/देता हूँ।
  - द. यह कि, इस बंध पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :—

1. ....

2. ....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....

उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूली की जा सकेगी।

हस्ताक्षर आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :—

1. ....

2. ....

## ANNEXURE-I

**COLLEGE WISE INFORMATION REGARDING MCI RECOGNIZED DEGREE/DIPLOMA SEATS  
IN VARIOUS MEDICAL/DENTAL COLLEGE IN THE STATE OF MADHYA PRADESH**

**Gandhi Medical College, Bhopal  
(Barkatullah University, Bhopal)**

<u>S. No.</u>	<u>Recognised Degree Seats</u>
1.	M. S. Anatomy
2.	M. D. Physiology
3.	M. D. Pathology
4.	M. D. Forensic Medicine
5.	M. D. Pharmacology
6.	M. D. Preventive & Social Medicine
7.	M. D. Anaesthesiology
8.	M. D. Gen. Medicine
9.	M. D. Paediatrics
10.	M. D. Obst. & Gynaecology
11.	M. S. E.N.T. (Ear, Nose & Throat)
12.	M. S. General Surgery
13.	M. S. Ophthalmology
14.	M. S. Orthopaedics
15.	M. D. Radiodignosis

Recognised Diploma Seats

1.	Dip. Clinical Pathology
2.	Dip. Anaesthesiology
3.	Dip. Child Health
4.	Dip. Obst. & Gynaecology
5.	Dip. Ophthalmic Medicine & Surgery
6.	Dip. Otorhinolaryngology
7.	Dip. Orthopedic
8.	Dip. Medical Radiodignosis

**G. R. Medical College, Gwalior  
(Jiwaji University, Gwalior)**

Recognised Degree Seats

1.	M. S. Anatomy
2.	M. D. Physiology
3.	M. D. Pathology
4.	M. D. Pharmacology
5.	M. D. Preventive & Social Medicine

S. No.      Recognised Degree Seats

6.	M. D. Anaesthesiology
7.	M. D. Gen. Medicine
8.	M. D. Paediatrics
9.	M. D. Radiodignosis
10.	M. D. Obst. & Gynaecology
11.	M. S. E.N.T. (Ear, Nose & Throat)
12.	M. S. General Surgery
13.	M. S. Ophthalmology

S. No.      Recognised Diploma Seats

1.	Dip. Clinical Pathology
2.	Dip. Anaesthesiology
3.	Dip. Child Health
4.	Dip. Ophthalmic Medicine & Surgery
5.	Dip. Otorhinolaryngology
6.	Dip. Clinical Pathology

**S. S. Medical College, Rewa  
(A. P. S. University, Rewa)**

S. No.      Recognised Degree Seats

1.	M. S. Anatomy
2.	M. D. Physiology
3.	M. D. Pathology
4.	M. D. Pharmacology
5.	M. D. Preventive & Social Medicine.
6.	M. D. Gen. Medicine
7.	M. D. Paediatrics
8.	M. D. Obst. & Gynaecology
9.	M. S. General Surgery
10.	M. S. Ophthalmology

Recognised Diploma Seats

1.	Dip. Clinical Pathology
2.	Dip. Child Health

<b>M. G. M. Medical College, Indore</b> (Devi Ahilya Vishwa Vidyalaya, Indore)		<u>S. No.</u>	<u>Recognised Degree Seats</u>
<u>S. No.</u>	<u>Recognised Degree Seats</u>	6.	Dip. Medical Radiodiagnosis
		7.	Dip. T. B. & Chest Disease
1.	M. S. Anatomy	<b>N. S. C. B. Medical College, Jabalpur</b> (Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur)	
2.	M. D. Physiology	<u>Recognised Degree Seats</u>	
3.	M. D. Pathology	1.	M. S. Anatomy
4.	M. D. Pharmacology	2.	M. D. Physiology
5.	M. D. Preventive & Social Medicine	3.	M. D. Pathology
6.	M. D. Anaesthesiology	4.	M. D. Pharmacology
7.	M. D. Gen. Medicine	5.	M. D. Preventive & Social Medicine.
8.	M. D. Paediatrics	6.	M. D. Anaesthesiology
9.	M. D. Radiodignosis	7.	M. D. Gen. Medicine
10.	M. D. Radiotherapy	8.	M. D. Paediatrics
11.	M. D. Obst. & Gynaecology	9.	M. D. Obst. & Gynaecology
12.	M. S. E.N.T. (Ear, Nose & Throat)	10.	M. S. E.N.T. (Ear, Nose & Throat)
13.	M. S. General Surgery	11.	M. S. General Surgery
14.	M. S. Ophthalmology	12.	M. S. Orthopaedics
15.	M. S. Orthopaedics	13.	M. S. Orthopaedics
	<u>Recognised Diploma Seats</u>	14.	M. D. Radiodignosis
1.	Dip. Anaesthesiology	<u>Recognised Diploma Seats</u>	
2.	Dip. Child Health	1.	Dip. Anaesthesiology
3.	Dip. Obst. & Gynaecology	2.	Dip. Child Health
4.	Dip. Ophthalmic Medicine & Surgery.	3.	Dip. Obst. & Gynaecology
5.	Dip. Otorhinolaryngology	4.	Dip. Orthopedic
		5.	Dip. Medical Radiodiagnosis

**Information regarding DCI recognized MDS Degree Seats in Autonomous Dental College in the  
State of Madhya Pradesh**

<u>S. No.</u>	<u>Name of Subject</u>
1.	Prosthodontics
2.	Orthodontics

Bhopal, dated 28th January 2010

No. F-4-1-2010-1-LV.—The State Government hereby makes the following rules relating to entrance to Post Graduate Medical (MD & MS) course, Post Graduate Diploma and Dental (MDS) courses in Medical and Dental Colleges in the State of Madhya Pradesh.

### RULES

**1. Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the “Madhya Pradesh Medical and Dental Post Graduate Course Entrance Examination Rules, 2010”.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette and shall remain in force for the Academic year 2010-11.

**2. Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) “Board” means the Madhya Pradesh Professional Examination Board;
- (b) “College” means a Government/Autonomous Medical or a Dental College under the State Government;
- (c) “Examination” means the Entrance Examination conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board ;
- (d) “In-Service Candidate” means, Medical Officer of the Government of Madhya Pradesh, who is serving under the Government of Madhya Pradesh on regular or contract basis;
- (e) “Other Backward Classes” (means Other Backward Classes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh);
- (f) “Rural Area” means the area other than Municipal Corporation area and Municipal Council area;
- (g) “Scheduled Castes” means Scheduled castes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- (h) “Scheduled Tribes” means Scheduled Tribes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- (i) “Selected Candidate” means a candidate who has been allotted a seat consequent upon counselling and who has been issued an allotment letter;
- (j) “ State Government” means Government of Madhya Pradesh;
- (k) “Tribal Area” means area under tribal sub plan;
- (l) “MCI” means Medical Council of India;
- (m) “DCI” means Dental Council of India;

**3. General.**—(1) PG Degree and Diploma courses will be governed and regulated by MCI / DCI / University / State Government / Government of India / Autonomous Society of the College under the rules and regulations in force as amended from time to time at the time of entrance examination, allotment, admission, as the case may be.

(2) PG courses are full time courses for a period of three years in case of degree and two years in case of diploma from the date of admission. Students shall not be allowed to do private practice, part time job or any other job during the entire period of study.

(3) Correct information must be furnished and produced whenever required. Before filling up the application form, candidates are advised to read and understand the rules thoroughly and fill up complete and correct required information and enclose required documents, failing which the applicants shall not be entitled to entrance examination, allotment and admission etc.

(4) If it is found that a candidate has hidden any relevant facts and / or provided incorrect information while filling up the application form at the time of allotment of a seat, at the time of scrutiny of the documents and at the time of his / her admission, then the admission shall be cancelled by the Dean / Principal of the College at any time during his/her studies.

(5) In-service Candidate, who have been recommended by any Department of the Government of Madhya Pradesh, shall be treated on duty for appearing in examination and Counselling and shall be entitled to claim for Travelling Allowance and Dearness Allowance from the parent department as per rules.

(6) Every candidate must abide by the admission rules of VYAPAM and he has to deposit the prescribed fee.

**4. (1) The Students shall be entitled to :—**

- (a) One weekly off (non cumulative);
- (b) Casual leave for 19 days per academic year;
- (c) Entitlement of Maternity leave without stipend during the entire tenure shall be 90 days with prior permission of the Dean/Principal. Medical Certificate must be produced within ten days of proceeding on leave.

(2) As per Madhya Pradesh Government Medical Education Department order No. 147/4572/03/LV-M.E.-1, Dated 14th January, 2004 Medical leave shall be 15 days per year without stipend with prior permission. Sickness Certificate has to be produced within 10 days after proceeding on leave.

5. Students found guilty of misconduct, indiscipline and absence shall be liable to disciplinary action including expulsion from College by the Dean / Principal and cancellation of registration by the University.

6. The examination shall be held at the centre fixed by the Board. A centre once allotted will not be changed. The candidate shall abide by the rules and regulations of the Board failing which his/her candidature shall be cancelled.

7. All the Post Graduate degree and diploma seats recognised by MCI New Delhi has been distributed subject wise , course wise and **College-wise As shown in the table 1 to 5**. As per decision of WP No.2943/08 - Omprakash Lakhwani the unrecognised seats are not included in the table . However if some decision is taken by Hon'ble Court that will be followed accordingly as per Govt. of MP, Medical Education Department order No. 4168/4507/08/01/LV, dt. 24-12-08.

**8. Reservation.**—20% Seats are reserved for candidates belonging to Scheduled tribe, 16% seats are reserved for candidates belonging to Scheduled caste and 14% seats are reserved for candidates belonging to other Backward Classes other than creamy layer of Other Backward Classes of Madhya Pradesh or as amended from time to time,—

- (1) Reservation for woman candidates shall be 30% according to merit cum option in each category.
- (2) The candidate claiming to be a candidate belonging to Scheduled castes/ Scheduled Tribes / Other Backward Classes category of Madhya Pradesh shall have to attach a valid certified copy of certificate issued by the Competent Authority with the application form and the original certificate has to be produced at the time of counselling.
- (3) For Physically Handicapped **persons** who are bonafide residents of Madhya Pradesh **and who** belong

to Scheduled caste/ Scheduled Tribe / Other Backward Classes and Unreserved category, three percent (3%) seats are reserved for admission to P.G. courses which has been shown in table No. 1 to 4 (\*) In this relation, the decision passed by Hon'ble High Court, Jabalpur in W.P.No. 4828/09 Rakhi Mangal dated 29-08-09 will be complied with.

First of all seats will be filled up from Candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70%. In case of non availability of candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% then such unfilled seats shall be filled up by persons with locomotory disability of lower limbs between 40% to 50%.

**The candidate claiming admission against these seats will have to produce valid certificate, in the prescribed form, District Medical Board and eligibility certificate from superintendent vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Government of India, Ministry of Labour, Napier Town, Jabalpur. both the certificates are necessarily to be presented in original. Non production of both the certificates at the time of counselling will disqualify a candidate for admission. Subject wise seats distribution has been shown in Table-5. However it will be governed by guidelines framed by MCI.**

Following disabilities are not eligible :—

- 1- Upper limb Handicapped
- 2- Visual Handicapped
- 3- Hearing Handicapped
- 4- Lower limb more than 70% Handicapped
- 5- Eligibility certificate more than 3 months old at the time of counselling.

- (4) In PG Degree and Diploma Courses 20% of seats are reserved for In- service Medical Officers of any Department of the Government of Madhya Pradesh . **(In-service candidate - Table No. 2 & 4).**

#### 9. Selection Criteria.—(In Service Candidate) :

Selection process and conditions for degree and diploma courses for In-service candidates will be as under :—

##### (1) Medical Officer :

- (a) Only those candidates, who have completed 3 years of rural service on 30th April of year of examination as Medical Officer, or a candidate who is working consecutively as contractual medical officer in Department of the State Government and has completed 3 years of service at one place will be eligible as In-service candidate. If a candidate who is working consecutively on contractual basis in any Department of the State Government on the post mentioned above for more than 3 years has to **execute a bond for serving the State Govt. in the notified rural areas for at least 5 years, after completing Post Graduate degree and 3 years for diploma course. As per Government Instruction the bond is Rs.10.00 Lac. for post graduate degree and Rs.8.00 Lac. for Post Graduate Diploma course.**
- (b) The Maximum age limit for the selection of In-service candidates will be 45 years on 30th April of the year of examination.
- (c) The In-service candidates, who have done Post Graduation in one subject (degree/diploma) will not be eligible for admission in another subject.

- (2) **Application.**—In-service candidates will have to submit their application in prescribed form to Professional Examination Board. In-service candidates shall have to produce No-objection Certificate obtained from their department at the time of counselling.

#### 10. Examination and Merit list.—(1) There will be one common entrance examination for Post Graduate

entrance conducted by Professional Examination Board. In-service candidates will be selected on the basis of the same entrance examination. In-service candidates shall have to secure minimum qualifying marks in the Pre-PG Entrance Examination as prescribed in these rules for admission. The Professional Examination Board will prepare and declare separate merit list of successful in-service candidates. Total Marks for the examination for In-service candidates shall be 200. Such in-service candidates, declared successful will be considered for final merit list by addition of marks calculated on the following basis.

**(2) Medical Officers.**—The inter-se merit of the successful In service candidate shall be fixed up by adding marks of weightage for their services rendered in rural areas. The candidates serving in rural area will get maximum of 50 marks, allotted on the following basis:—

- (a) For Government service of one year duration while posted in rural area a weightage of maximum 06 marks will be given . For the service in rural area , the maximum gain of marks will be 30 or 20 as per following marks for one year each, for five years. If such services are rendered in Primary Health Centre or Community Health Centre situated in rural area, then 06 marks will be given for one year and if regular services are rendered in Primary Health Centre or Community Health Centre in Nagar Panchayat Area, which has been formed under the "Municipalities Act, 1961" then 04 marks will be given for one year .
- (b) For every year of such service, additional marks will be given , if the rural area comes under tribal sub plan and if such services are rendered in Primary Health Center the candidate will get maximum 20 additional marks at the rate of 04 additional marks per year for five years and for rendering such services at community health center, the candidate will get total additional 10 marks at the rate of 02 marks per year for five years.
- (c) For the purpose of this rule, the period of service of candidate, while posted in rural area or Nagar Panchayat area or tribal area and if he/ she was on unauthorized absence from duty/ any dies-non period / any period of leave without pay /any period on training exceeding 3 months / attachment in urban area during the tenure of rural service will not be counted for the purpose of calculation of marks for weightage of rural service.
- (d) The final merit list of In service candidates will be prepared by Professional Examination Board for counselling on the basis of marks obtained in entrance examination (equivalent to 200 Marks ) and marks secured for weightage of rural/tribal area service ( equivalent to maximum 50 marks) thus a total of 250 marks.
- (e) In case of two or more candidates obtaining equal marks, the inter-se merit will be decided as per procedure described in sub- rule (2) of rule 19.
- (f) The counselling of In-service candidates will be done by the Medical Education Department.

**11. Return to the Department after completing the course.**—The normal term for PG degree is 36 months and for Post Graduate diploma is 24 months. Candidates completing the tenure will have to come back to their Parent department irrespective of their status of the examination whether they have passed or not. No extension to continue the studies shall be granted under any circumstances.

**12. Fee, Bond etc.**—Selected Candidates except in-service (non-service) candidates will have to submit a Bond as per Government instructions i.e. Rs.10.00 Lac. for postgraduate degree and Rs.8.00 Lac. for Diploma courses for serving under the State Government for 3 years after completing PG degree or 2 years after completing Diploma Course. All Deans of autonomous colleges will provide the list, to the Commissioner, Health Services, of candidates who are appearing for University exams from their institute at least three months before the start of examination. They will also provide list of successful PG candidates. The Commissioner, Health Services will issue appointment orders to such successful candidates within three months after declaration of the result, failing which the Bond filled by candidate will automatically be deemed as cancelled.

However, such Doctors will have to work under the State Govt. as Directed.



**13. Fee Structure.**— Every Candidate shall have to pay regularly fee as detailed below :—

1. TUITION FEE (Degree)	Rs.35,000/- Per Annum.
2. TUITION FEE (Diploma)	Rs.35,000/- Per Annum.
3. HOSTEL FEE	Rs.10,000/- Per Annum.
4. STUDENT FUND	Rs. 500/- Per Annum.
5. CAUTION MONEY (Refundable)	Rs. 3,000/-
6. SECURITY DEPOSIT (Refundable)	Rs.10,000/-

**FEES REFUND :—**

Student admitted through All India Quota or State Quota and who submits in writing for leaving that seat to his respective college authority before 20th may, 2010 shall be refunded the deposited fees after deducting 10% of the fees. No application for such refund will be considered after that period & the deposited fees will not be refundable.

**14. Security Deposit.**—(1) Candidate will deposit Rs. 10,000 as security deposit in the form of a demand draft payable to Director, Medical Education, Madhya Pradesh, Bhopal on allotment of a seat during counselling :

Provided that a candidate who belongs to Scheduled Caste / Scheduled Tribe category whose parents / Guardians income does not exceed Rs. 3.00 lacs per annum from all sources shall not make any security deposit. Provided that other Scheduled Caste / Scheduled Tribe candidates, whose parents/guardians income exceeds Rs. 3.00 lac per annum from all sources and all candidates belonging to Other Backward Classes category shall be required to deposit only Rs. 2,000/- as security deposit.

(2) The amount of security deposit shall be refundable without interest after successful completion of the course. In case a candidate does not join the allotted course, subject and institution or discontinues the study in a course and leaves college before completion of the course due to any reason, his/her claims on security deposit shall be forfeited.

**15. Eligibility.**—(1) The Candidate must be a bonafide resident of Madhya Pradesh. **Any one of the following conditions will be deemed to be included as bonafide resident of Madhya Pradesh :—**

- 1.1 The candidate must have passed all MBBS/BDS examinations from Medical / Dental College of Madhya Pradesh.
- 1.2 The candidates who are bonafide residents of Madhya Pradesh but they have passed M.B.B.S. course from outside M.P. should be recognized by Medical Council of India, New Delhi. This will also be applicable to those candidates to be selected for Master of Dental Surgery course.
- 1.3 Medical officers nominated by any Department of the Government of Madhya Pradesh (In - service candidates).

(2) (i) All P.G. Medical students should be registered with M.P. State Medical Council to practice in the State of Madhya Pradesh.

(ii) Selected candidates who are not registered with M.P. State Medical Council must submit a copy of receipt of M.P. Medical Council registration fee & application within one month of allotment of P.G. seat.

(3) (i) No candidate including In-service candidate will be entitled for doing post graduation for a period of 3 years, if a seat was allotted to him/her through All India or State Post Graduate Entrance Examination and he/she did not join or joined and left the seat thereafter, due to any reason during the last three years preceding 2010. In addition, a candidate who has obtained Post Graduate degree/diploma will not be eligible to appear in the P.G. entrance examination for three/two years from the date of completion of such course.

A candidate who is admitted to Post Graduate course in Government Autonomous Medical College in Madhya Pradesh through All India Entrance Examination 2010 and also got selected for Madhya Pradesh Post Graduate Entrance Examination, 2010 is eligible to participate in counselling scheduled for selected candidates in Madhya Pradesh Post Graduate Entrance Examination, 2010.

However he / she will have to resign from his All India seat in case, he/she opts a seat from State Quota at such counselling.

**Note.**—(i) Vide Government of Madhya Pradesh Medical Education Department order no. F-5-15/03/55/ME/1, Dated 26-12-03 the students admitted to M.B.B.S. course in 2004 can appear in Post Graduate entrance examination, 2010 provided a student qualifies he/she has to submit a No Objection Certificate from Public Health & Family Welfare Department, Government of Madhya Pradesh, then only admission shall be given in Post Graduate course.

Candidates who have passed their MBBS from Govt. Autonomous Medical College of the state and are selected for PG degree/Diploma will have to submit NOC from Directorate of Health Services, Bhopal and will have to serve the state government for 3 years for degree and 2 years for diploma, after passing the PG course.

(ii) **All In service candidates will have to appear in common entrance examination conducted by Professional Examination Board. Separate merit list will be made of In-service candidates after adding the qualifying marks scored in common entrance Examination and marks allotted by respective Department. Counselling will be done as per the final merit list.**

**16. Examination.**—(1) The entrance examination for MS/MD/MDS/Diploma will be conducted in ENGLISH medium only.

(2) There shall be one paper of three hours duration. The question paper shall have two parts "A" and "B".

(3) In objective type questions one mark will be awarded for each correct answer. No mark will be awarded for an incorrect response or multiple marking or for an un-answered question.

(4) The examination shall be of the standard of MBBS examination and shall cover all subjects of MBBS Course.

(5) **The tentative number of questions of each subject for degree and Diploma (MD/MS) are as shown below:—**

Part -A			Part-B		
S. No.	Subject	No. of Questions	S. No.	Subject	No. of Questions
01.	Anatomy	10	01.	General Medicine	25
02.	Physiology	08		including Dermatology	
03.	Biochemistry	05		Venereology and Leprosy.	
04.	Pharmacology	08	02.	General Surgery	20
05.	Pathology	15	03.	Anaesthesiology	06
06.	Microbiology	08	04.	Obsetrics & Gynaecology	15
07.	Forensic Medicine	06	05.	Opthalmology	10
08.	Community Medicine	15	06.	Orthopaedics	10
			07.	Oto-Rhino-Laryngology	10
			08.	Paediatrics	10
			09.	Psychiatry	06
			10.	Radio-diagnosis	08
			11.	Radiotherapy	05
<b>Total ..</b>		<b>75</b>	<b>Total ..</b>		<b>125</b>
<b>Grand Total A+B = 200</b>					

**17. Admission to PG Dental Degree Courses.**—(1) The examination will be conducted on the same pattern as for Post Graduate Medical Degree/Diploma Course as described earlier and the general principle as prescribed for MD/MS Course shall apply to PG Dental Course i.e .M.D.S.

(2) There shall be one paper of three hours duration. The question paper shall have two parts "A" and "B".

(3) The examination shall be of the standard of BDS examination and shall cover all subjects of BDS Course.

(4) The tentative number of question in each group of subject are as shown below :—

**Part -A**

S.No. (1)	Group of Subjects (2)	No. of Question (3)
1	General Human Anatomy, Embryology & Histology, General Human Physiology, Biochemistry and Dental Materials.	30
2	General Pathology & Microbiology, Human Oral Anatomy, Embryology & Histology, General and Dental Pharmacology and Therapeutics.	30
3	General Medicine, General Surgery, Oral Pathology & Microbiology, Preventive & Community Dentistry.	40
<b>Total . .</b>		<b>100</b>

**Part- B**

S.No. (1)	Group of Subjects (2)	No. of Question (3)
1	Prosthodontics Crown & Bridge Conservative Dentistry & Endodontics, Paedodontics, Orthodontics, Periodontics, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Diagnosis & Radiology	100
<b>Total . .</b>		<b>100</b>

**Grand Total A+B = 200**

(5) **Seats Available.**—At autonomous Dental College for MDS course, following seats are available as shown below :—

(i) **Orthodontics—One Seat Unreserved Category (Female) :—**

1.	Year 2001	Unreserved	—	Open
2.	Year 2002	Unreserved	—	Open
3.	Year 2003	Unreserved	—	Female
4.	Year 2004	Unreserved	—	Open
5.	Year 2005	Unreserved	—	Open

6.	Year 2006	Unreserved	—	Female
7.	Year 2007	Unreserved	—	Open
8.	Year 2008	Unreserved	—	Open
9.	Year 2009	Unreserved	—	Female
10.	Year 2010	Unreserved	—	Open

(ii) **Prosthodontics —One Seat All India Quota.**

(iii) **Prosthodontics —One Seat Reserved Category** open this seat is reserved for S.T. category candidate, in case eligible candidate is not available then the seat will be filled up as described in sub-rule (11) of Rule 20. According to order Govt. of Madhya Pradesh No. F 5-49-2000-55-ME-1, Dated 4th October 2000. The reservation sequence will be as follows :—

1.	Year 2001	ST
2.	Year 2002	SC
3.	Year 2003	OBC
4.	Year 2004	ST
5.	Year 2005	SC
6.	Year 2006	OBC
7.	Year 2007	ST
8.	Year 2008	SC
9.	Year 2009	OBC
10.	Year 2010	ST

(iv) **Oral Surgery—One Seat All India quota.**

(v) **Oral Surgery—One Seat State quota.**

Allotment Subject to permission by the Government of India.

1.	Year 2008	Schedule Tribe
2.	Year 2009	Schedule Caste
3.	Year 2010	Other Backward Class

In case eligible candidate is not available then the seat will be filled up as described in sub-rule (11) of rule 20.

**18. Declaration of Result.—** The Board will conduct the examination, evaluate the answer sheets, prepare the merit list and declare the result. The allotment of a seat to eligible candidate in subject/course/college will be done by counselling on merit cum option basis. **Counselling will be done by Directorate of Medical Education at Gandhi Medical College, Bhopal.**

**19. Merit List.—**Separate merit will be prepared for In-service and non service (Open) candidates,—

- (1) A merit list of Un reserved non service (Open)category shall be declared which shall be consist of all successful candidates who have secured not less than 50% marks in pre P.G. examination.

- (2) The separate merit list of all non service (Open) reserved category (Scheduled Caste/Scheduled Tribe /Other Backward Classes ) will be prepared who have secured not less then 40% marks in Pre-P.G. Examination.
- (3) In all the non service (Open) category wise list the physically handicapped candidate will also be included according to their merit.
- (4) The list of physically handicapped candidate will also be prepared, category wise as per their merit.
- (5) There will be no waiting list.
- (6) Separate merit list as above para 1-5 category wise shall be made of in-service candidates after adding the qualifying marks scored in common entrance test and marks allotted by the respective Department of the State Government.

**Counselling shall be done as per the final merit list :**

- (2) **Inter-Se-Merit.**—In case two or more candidates obtaining equal marks in the entrance examination, the merit will be decided as per procedure indicated below :—
  - (a) A Candidate, who scores more marks in Part “B” of the question paper will be kept higher in merit.
  - (b) Candidates scoring equal marks even in part “B” of the question paper, then candidate older in age will be placed higher in inter se merit of such candidates.

**20. Counselling.**—(1) The allotment of seats shall be made to the candidates through counselling on personal appearance. The Counselling Committee will consist of :—

- (i) Director Medical Education or his authorised representative.
- (ii) Director, Professional Examination Board or his representative.
- (iii) Director, Medical Services.
- (iv) All Deans of the autonomous Medical Colleges of Madhya Pradesh.
- (v) Principal of the autonomous Dental College, Indore.
- (vi) Representative of reserved category not below the rank of an Associate Professor nominated by the State Government.
- (vii) Two nominated representative of local Medical College.
- (viii) Chairman Allotment Committee and Chairman Scrutiny Committee

**Note.**—Director Medical Services will remain present personally throughout the counselling of In-service candidates (since beginning to end), Director Medical Services will also be completely responsible for the counselling of In-service candidates.

(2) **The programme for counselling will be advertised in the leading newspapers of the State. Separate call letters will not be sent to the candidates.**

(3) In case of a candidate's inability to appear in person for the counselling, he / she can send his / her authorised representative with an undertaking and authority letter.

(4) The candidates or their representatives will travel for the counselling at their own cost.

(5) Candidate or his/her representative will not be allowed to enter the area specified for the counselling without showing the PG 2010 EXAMINATION MARKSHEET.

(6) The candidate or his / her authorised representative without original documents, (as mentioned in Proforma 9) along with a set of two attested photocopies of original documents, will not be eligible to participate in the counselling.

(7) The candidates or their authorised representatives will wait for their turn in order of merit. They will be called in small groups of 10-20 for scrutiny i.e. verification of original documents and if found eligible, shall further be permitted for the counselling, where they shall exercise their option for allotment of any one of the available seats, which will be final and the same will be allotted to them and the allotment letter will be issued on payment of Bank Draft payable to Director, Medical Education, Madhya Pradesh, Bhopal as per rule 14(1).

(8) Candidates or his/her representatives due to any unavoidable circumstances does not remain present on the date and time fixed for them for scrutiny of the documents and counselling, then such candidates, if they come afterwards, they will be considered only at the stage, where the counselling is progressing irrespective of their merit. They will be considered only if the counselling of their category is going on and allotment done before to other candidates on the basis of their merit will remain unchanged. This rule will be applicable to candidates of all the categories.

(9) Counselling of In-service candidates will be done first & category wise in the following sequence.

**IN SERVICE**

- A. Scheduled Tribe Category
- B. Scheduled Caste Category
- C. Other Backward Class Category
- D. Unreserved Category

A candidate will only be eligible to opt a seat from her/his own category .

(10) Seats remaining vacant after counselling (allotment) of In-service candidates shall be made available to non service (open) candidates category wise.

(11) Counselling of Non Service candidates will be done according to following sequence category wise :—

**Non Service (open)**

- A. Scheduled Tribe Category
- B. Scheduled Caste Category
- C. Other Backward Class Category
- D. Unreserved Category

In case the Physically Handicapped candidates are not available in the respective category, the vacant seats will be filled up from open candidates of the same category.

In case the eligible candidates to the extent of reservations in any category i.e. non-service and In service are not available, the vacant seats of that category will be filled up by making available to other categories as given below:—

- (a) The vacant seats of ST category shall be filled up by the eligible SC category candidates.
- (b) The vacant seats of SC category shall be filled up by eligible ST category candidates.
- (c) In case the eligible candidates to the extent of reservation in ST and SC categories are not available, the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidates.

- (d) In case the eligible candidates are not available in these three reserved categories in the above manner, the vacant seats shall then be filled up by the eligible unreserved category candidates.

(12)(a) The candidate of reserved category has to produce permanent caste certificate from competent authority in prescribed proforma. In case of failure to do so the candidate will not be eligible for reservation. The candidate will be responsible for this lapse. Temporary cast certificate and caste certificate with expiry date will not be accepted.

(b) The candidate of reserved category has to produce income certificate of the current year compulsorily at the time of counselling.

(13) A candidate belonging to ST/SC/OBC category, whose name also appear in the merit list of unreserved category beside the merit list of his/her own reserved category will have an option during counselling to select the seat from reserved category or un-reserved category.

(14) The number of seats available to the State from All India quota (Degree & Diploma course separately) will be distributed in all the categories **in service and open category** in the same ratio, as prescribed for State Quota seats and these seats will be distributed to a subject, course and college, which will be decided by draw of lots by the candidates representing each category in the presence of the allotment committee.

In case of any dispute regarding the number of seats to be added to a category the highest fraction shall be taken into consideration and shall be given preference.

(15) "If any candidate who does not wish to be admitted to any of the subjects/courses available at the time of her/his counselling, he/she may give "opt for waiting" option in writing and his/her name will be placed in order of merit. If any seat fall vacant on or before 31st May 2010 in any Medical/Dental Colleges in any subject, the name of such candidate shall be considered on the basis of merit at the time of allotment of vacancies arising due to any reason for admission of the said category".

**(16) Any candidate who has been allotted a seat & college/institution will not be permitted to participate in subsequent counselling. Such candidates will not be called for subsequent counselling.**

**21. Admission.**—Consequent upon a candidate's allotment for a subject, course and a college by counselling, he/she shall report on the notified date and time to the Dean / Principal of the College concerned.

(1) The admission committee consisting of Dean / Principal, two Professors and at least two Medical teachers belonging to reserved category shall also verify the original documents and if found eligible, shall give admission in a subject, course and the college allotted to the candidate.

(2) Once admitted either through All India or State quota, all original certificates shall be kept by the college and a certificate to that effect will be issued to the candidate by the college authorities.

(3) Original documents shall be returned to the candidates only on completion of their tenure or their resignation or leaving from the seat of the course and the college due to any reason.

(4) A candidate so admitted to a particular subject, course/category and college will not be entitled for any change on any ground.

(5) No admission in P.G. course/subject/college will be made after 31<sup>st</sup> May 2010 as per guidelines issued by MCI in pursuance of direction laid down by Hon'ble Supreme Court Judgment dated 11.09.02 MCI Vs. Madhu Singh & Ors.

(6) The claim of the candidates, who do not join by the last date of joining/joined and left/joined and remained absent for a period of continuous fifteen days without prior permission of the Head of the institution, shall be forfeited and allotment / admission given shall be deemed to have been cancelled.

(7) The academic session shall commence from 02.05.2010. Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason is 31.05.2010.

(8) **Fee refund** - Deposited fee will be refundable only if the admission is cancelled by the candidate 7 days before the last counselling of and if they don't leave the seat before one week of the last counselling, no fee shall be refunded after this period. However 10% processing fee may be deducted by the concerned institution.

**22. THE PROPOSED SCHEDULE FOR ADMISSION PROCESS:—**

1.	Counselling to be done	April 2010
2.	Last date for joining the allotted college & course	01-05-2010
3.	Commencement of Academic session.	02-05-2010
4.	Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason.	31-05-2010

**23. Explanation of Rules.**—The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. In case of any dispute related to the interpretation of these rules and amendments relating to them, the decision of the State Government shall be final and binding on all concerned.

**24. Repeal and Saving.**—The Madhya Pradesh Medical and Dental Post-Graduate Courses Entrance Examination Rules, 2009 are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

D. D. AGARWAL, Addl.Secy.

**PROFORMA-1**

**Certificate to be submitted by the sponsored candidate**

- 1- This is to certify that Dr. .... is sponsored for MD/ MS/ MDS/ PG diploma training course in Madhya Pradesh Medical/ Dental Colleges of Madhya Pradesh.
- 2- Dr..... is Permanent/ Temporary/ Regular/ Contract employee of ( Name of organization ).
- 3- That candidate will not be given any stipend by Medical / Dental College during his/her tenure. This responsibility will be of sponsoring authority / concerned organization/Department .

Office Seal

Signature

Authorized Officer

Date : .....



**PROFORMA-2**

**The affidavit Proforma to be filled up by candidates who are eligible for admission through Pre P.G. Exam.**

I, Dr. .... Son/Daughter of .....  
Age ..... Residence .....  
..... solemnly declare that :—

1. Presently I am not studying after selection in last 3 years i.e. 2006, 2007, 2008 in Madhya Pradesh State after my selection by Madhya Pradesh Pre P.G. counselling or All India counselling.
2. I have not been allotted any P.G. Degree/ P.G. Diploma during last 3 years (2007, 2008, 2009) in any subject in Madhya Pradesh State through Madhya Pradesh Pre P.G. Counselling or All India Counselling.
3. I have not obtained any P.G. diploma during last 2 years (2008, 2009) or any P.G. degree during last 3 years (2007, 2008, 2009).

Date :

Signature :

Name :

Designation :

Address :

**Verification**

I, Dr. .... Son/Daughter of .....  
Age ..... Residence .....  
verify that the facts given at S. No. 1 to 3 are true to the best of my knowledge and belief.

Date :

Verifying Person :

Signature :

Name :

Designation :

Address :

**PROFORMA-3**

**Certificate, Scrutiny of documents, counseling, allotment related Performa (to be filled by candidate)**

I/ authorized representative declare that I have read and well understood the Pre PG Rule 2010. I have information regarding recognized PG Courses in /Medical Colleges of Madhya Pradesh and thereafter I am participating in counselling under provision of Rules. I am submitting original certificate/ documents. today while participating in counselling, if desired information is not as per rule or false or incomplete or not as per specification then in that event even if I have been allotted or admitted, then in that case also my allotment/ admission will be liable to be cancelled without any information.

1. Pre PG 2010 Roll No. ....
2. Merit Serial No.....
3. Full Name .....
4. Mother/ Father/ Guardian Full Name With Address.....
5. Category UR/ SC/ ST/ OBC

6. original certificate/ Document which are to be submitted (Tick mark)
- Mark sheet of Pre PG mark
  - Mark sheet of all exam.of MBBS/BDS
  - Internship completing certificate
  - Permanent registration certificate
  - Affiliated related to PG study
  - Certificate of Indian Resident
  - Certificate of M.P. Bonafide
  - Reserved category certificate in Madhya Pradesh State
  - Affiliated regarding working in Non Clinical/ Para clinical/ Assistant Professor in Dental autonomous medical/ Dental college of Madhya Pradesh.
  - Sponsorship certificate of related to Para (9)

Candidate/ Authorized representative, full name and address with signature

### SCRUTINY

(To be filled up by Scrutiny Committee)

Certified that document/certificate (1-10) submitted by the Candidate/ authorized representative has been checked and two sets of documents /certificates have been deposited for records.

After due verification, Candidate is eligible for participating in counselling or not eligible to participate in counselling due to non submission of following documents /certificates /or due to other reasons.

Signature :

Date :

Name :

Designation of I/c officer :

### PROFORMA-4

#### Consent of candidate /authorized representative for allotment of Subject/ Course /Institution through counselling

I agree that I or my authorized representative shall participate to day on ..... in the counselling and when my turn in the available course comes, shall voluntarily give consent for either taken admission or for not taking admission or for keeping my name in the list of "opt for waiting"

Accordingly allot my Name to.....Institute.....Course .....Subject.

Name

Candidate/ Signature of authorized Member

Date

Roll No.

Full name with address

Merit No.

**ALLOTMENT BY COUNSELLING**

Dr. .... Pre. PG Roll No. .... Merit No. ....  
 Category Candidate are allotted Course ..... Subject .....  
 Institution ..... as per his/her own decision

or

The Candidate has not been allotted Course ..... Subject ..... Institution ..... due  
 to Non Selection by Candidate.

Signature of allotment authority

Date :

Name/Designation :

**AFFIDAVIT**

I/Son/Daughter of Shri..... Age ..... Residence .....  
 Dated ..... After taking oath declare that any decision taken by me during the course of counselling shall  
 be binding on me .

I will follow Rules mentioned in Pre PG. Booklet 2010 after taking admission in the Institution within the  
 allotted time.

1. **Signature of witness**  
**Date**  
**Name**  
**Full add.**

**Signature of candidate**  
**Date**  
**Full Name**  
**Designation**

2. **Signature of witness**  
**Date**  
**Name**  
**Full add.**

**PROFORMA-5****Undertaking**

I ..... Son/Daughter/wife of ..... age..... Year .....  
 Month ..... Roll No. .... Place and Rank No. .... Solemnly declare that for  
 MD/MS/Diploma/MDS Admission by Pre PG 2010 My authorized representative Shri/Smt/Ku. ....  
 Son/Daughter/wife of ..... Age ..... years will take any decision  
 regarding by selection/rejection on Dated ..... that will be binding to me and there will be no right/claim  
 of me except that to accept the decision of my representative.

Signature of Candidate

Name.....

Roll No.....

**PROFORMA-6****Authority Letter**

I.....Son / Daughter / wife of Shri.....  
 Roll No. ....authorize Shri ..... for admission to MD/MS/MO/  
 Diploma/PG Course of Madhya Pradesh Pre PG. 2010. Authorized candidate will represent on my behalf on  
 Dated ..... for Selection/Rejection of one Seat of MD/MS/Diploma/ MDS P.G. courses 2010 before  
 the selection committee.

The Signature & photo of authorized candidate has been verified :—

Candidates  
 photo  
 attested by  
 Gazetted  
 officer

Signature of candidate  
 Name  
 Roll No.  
 Rank

Address.....

Photo of  
 authorized  
 representative  
 which verified  
 by candidate

Signature of authorized person  
 verified by candidate.

**Note.**—Signature & seal should be shown in cover paper and photo.

**FORM-7****DECLARATION FORM FOR****Allotment of a Seat in State Medical / Dental College in lieu of resignation from All India Quota Seat.**

I,..... S/o, D/o, .....  
 Resident of .....bearing Roll No. ....  
 have been placed at Rank Number ..... in the All India Pre/Post Graduate Medical/Dental Entrance  
 Examination, 2010 and I had opted a Seat at College \_\_\_\_\_  
 Subject \_\_\_\_\_ in the allotment, and have taken admission there on  
 dated \_\_\_\_\_.

- (i) I am also selected in Madhya Pradesh Pre/Post Graduate Medical/Dental Entrance Examination, 2010
- (ii) I, the above named hereby choose a seat at \_\_\_\_\_ College in \_\_\_\_\_  
 course from amongst the seats in Medical / Dental Colleges of Madhya Pradesh available at my rank  
 during this counselling for allotment and admission.

Following this allotment, I shall have no claim on the seat allotted to me earlier at College \_\_\_\_\_ Course \_\_\_\_\_. The same stands vacated by me with immediate effect.

OR

(iii) I, the above named reject the seats available at my rank for allotment and I will continue my studies at my earlier allotted College \_\_\_\_\_ Course \_\_\_\_\_

Signature of the Candidate  
or authorised representative

Name \_\_\_\_\_

Rank No. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Time \_\_\_\_\_


**FORM FOR PRE PG EXAMINATION FOR IN-SERVICE CANDIDATE**

Name of candidate .....

Father's Name .....

Date of Birth .....

Caste Schedule Tribe / Schedule Caste / Other Backward Class/  
General ( attach certificate )



Place of posting \_\_\_\_\_ Block \_\_\_\_\_ Distt. \_\_\_\_\_

Permanent address House No. \_\_\_\_\_ Village/Mohalla \_\_\_\_\_ Tehsil \_\_\_\_\_

District \_\_\_\_\_ Pin Code \_\_\_\_\_

Address for correspondence House No. \_\_\_\_\_ Village/Mohalla \_\_\_\_\_

Tehsil \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Pin Code \_\_\_\_\_

Telephone No. with code Office \_\_\_\_\_ Residence \_\_\_\_\_

Date of First Appointment

Whether Selected by PSC ? Yes/ No

Date of PSC confirmation \_\_\_\_\_ PSC Merit No. \_\_\_\_\_

Whether Regularised by Deptt. ? Yes/ No

Date of regularisation \_\_\_\_\_ Merit No. \_\_\_\_\_ Order No. \_\_\_\_\_

Details of under graduate Medical Degree \_\_\_\_\_ Year of Passing \_\_\_\_\_

Whether holding any PG Degree / Diploma \_\_\_\_\_ Year of Passing \_\_\_\_\_

Whether appeared in All India Test & refused admission

Medical Council Registration No.

**Declaration**

I, do hereby solemnly affirm that the information given by me is correct to the best of my knowledge & belief. If the information is found incorrect my candidature shall be forfeited.

Signature .....

Name .....

Date .....

## ANNEXURE-1

## College wise Information regarding MCI Recognized Degree/Diploma Seats in various Medical/Dental College in the State of Madhya Pradesh

**Gandhi Medical College, Bhopal**  
(Barkatullah University, Bhopal)

S.No.	Recognised Degree Seats
1.	M.S. Anatomy
2.	M.D. Physiology
3.	M.D. Pathology
4.	M.D. Forensic Medicine
5.	M.D. Pharmacology
6.	M.D. Preventive & Social Medicine
7.	M.D. Anaesthesiology
8.	M.D. General Medicine
9.	M.D. Paediatrics
10.	M.D. Obst. & Gynaecology
11.	M.S. E.N.T. (Ear, Nose & Throat)
12.	M.S. General Surgery
13.	M.S. Ophthalmology
14.	M.S. Orthopaedics
15.	M.D. Radiodignosis

**Recognised Diploma Seats**

1.	Diploma Clinical Pathology
2.	Diploma Anesthesiology
3.	Diploma Child Health
4.	Diploma Obst. & Gynaecology
5.	Diploma Ophthalmic Medicine & Surgery
6.	Diploma Otorhinolaryngology
7.	Diploma Orthopedic
8.	Diploma Medical Radiodignosis.

**G.R. Medical College, Gwalior**  
(Jiwaji University, Gwalior)

**Recognised Degree Seats**

1.	M.S. Anatomy
2.	M.D. Physiology
3.	M.D. Pathology
4.	M.D. Pharmacology
5.	M.D. Preventive & Social Medicine
6.	M.D. Anaesthesiology
7.	M.D. General Medicine
8.	M.D. Paediatrics
9.	M.D. Radiodignosis
10.	M.D. Obst. & Gynaecology
11.	M.S. E.N.T. (Ear, Nose & Throat)
12.	M.S. General Surgery
13.	M.S. Ophthalmology

**M.G.M. Medical College, Indore**  
(Devi Ahilya Vishwavidhyalaya, Indore)

S.No.	Recognised Degree Seat
1.	M.S. Anatomy
2.	M.D. Physiology
3.	M.D. Pathology
4.	M.D. Pharmacology
5.	M.D. Preventive & Social Medicine
6.	M.D. Anaesthesiology
7.	M.D. General Medicine
8.	M.D. Paediatrics
9.	M.D. Radiodignosis
10.	M.D. Radiotherapy
11.	M.D. Obst. & Gynaecology
12.	M.S. E.N.T. (Ear, Nose & Throat)
13.	M.S. General Surgery
14.	M.S. Ophthalmology
15.	M.S. Orthopaedics

**Recognised Diploma Seats**

1.	Diploma Anesthesiology
2.	Diploma Child Health
3.	Diploma Obst. & Gynaecology
4.	Diploma Ophthalmic Medicine & Surgery
5.	Diploma Otorhinolaryngology
6.	Diploma Medical Radiodiagnosis
7.	Diploma T.B. & Chest Disease

**N.S.C.B. Medical College, Jabalpur**  
(Ranidurgawati Vishwavidyalaya Jabalpur)

**Recognised Degree Seats**

1.	M.S. Anatomy
2.	M.D. Physiology
3.	M.D. Pathology
4.	M.D. Pharmacology
5.	M.D. Preventive & Social Medicine
6.	M.D. Anaesthesiology
7.	M.D. General Medicine
8.	M.D. Paediatrics
9.	M.D. Obst. & Gynaecology
10.	M.S. E.N.T. (Ear, Nose & Throat)
11.	M.S. General Surgery
12.	M.S. Ophthalmology
13.	M.S. Orthopaedics
14.	M.D. Radiodignosis

**Recognised Diploma Seats**

1. Diploma Clinical Pathology
2. Diploma Anesthesiology
3. Diploma Child Health
4. Diploma Ophthalmic Medicine & Surgery
5. Diploma Otorhinolaryngology
6. Diploma Clinical Pathology.

**S.S. Medical College Rewa  
(A.P.S. University, Rewa)**

**Recognised Degree Seats**

1. M.S. Anatomy
2. M.D. Physiology
3. M.D. Pathology
4. M.D. Pharmacology
5. M.D. Preventive & Social Medicine
6. M.D. General Medicine
7. M.D. Paediatrics
8. M.D. Obst. & Gynaecology
9. M.S. General Surgery
10. M.S. Ophthalmology

**Recognised Diploma Seats**

1. Diploma Clinical Pathology
2. Diploma Child Health

**Information regarding DCI recognized MDS Degree Seats in Autonomous Dental College in the  
State of Madhya Pradesh**

**S.No. Name of Subject**

1. Prosthodontics
2. Orthodontics.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. डी. अग्रवाल, अपर सचिव.

